



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पहली
FIRST

अनुदानों की पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए
FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

2020-2021

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है)

(Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

सितम्बर, September, 2020

परिचायक टिप्पणी

INTRODUCTORY NOTE

विषय : अनुदानों की पूरक मांगों का पहला बैच 2020-2021.

Subject : First Batch of Supplementary Demands for Grants, 2020-2021.

वर्ष 2020-21 की पूरक अनुदान मांगों के पहले बैच में 54 अनुदान मांगें तथा 1 विनियोग हैं। ₹2,35,852.87 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद व्यय के प्रस्तावों से संबंधित कुल खर्च ₹1,66,983.91 करोड़ है और सकल अतिरिक्त व्यय, जिसे मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूलियों से समतुल्य किया जाएगा ₹68,868.33 करोड़ है। इसके अतिरिक्त, नई सेवा या नई सेवा लिखत वाले मामलों में बचत पुनर्विनियोग के लिए व्यय की प्रत्येक मद हेतु एक लाख रुपए के साथ ₹63 लाख का सांकेतिक प्रावधान मांगा जा रहा है।

The First batch of Supplementary Demands for Grants for 2020-21 includes 54 Grants and 1 Appropriations. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹2,35,852.87 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹1,66,983.91 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹68,868.33 crore. Besides, token provision of ₹63 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling re-appropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. निवल नकद खर्च वाले अतिरिक्त व्यय की मदें निम्नानुसार हैं:-

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
नकद व्यय	Cash Outgo			
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE			
1 कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare			
(क) 1. सामान्य सहायता अनुदान हेतु (i) सामान्य घटक (₹19.90 करोड़) तथा सब्सिडी (₹119.83 करोड़) (ii) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (₹4.48 करोड़) एवं सब्सिडियां (₹26.59 करोड़) तथा (iii) जनजाति क्षेत्र उपयोजना घटक (₹2.32 करोड़) एवं सब्सिडियां (₹13.78 करोड़) तथा 2. कृषि अवसंरचना कोष योजना के तहत कार्यालय व्यय (₹0.30 करोड़) के प्रति खर्चों को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards 1. Grants-in-aid General for (i) General Component (₹19.90 crore) and Subsidies (₹119.83 crore) (ii) Special Component Plan for Scheduled Castes (₹4.48 crore) and subsidies (₹26.59 crore) and (iii) Tribal Area Sub Plan Component (₹2.32 crore) and Subsidies (₹13.78 crore) and 2. Office Expenses (₹0.30 crore) under the scheme Agriculture Infrastructure Fund .	187.20	...	187.20
(ख) (i) कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन के तहत सामान्य घटक (₹1.50 करोड़) (ii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन/तिलहन एवं पाम तेल के तहत जनजातीय उप-योजना घटक (टीएसपी) (₹18.52 करोड़) (iii) मृदा स्वास्थ्य एवं उपजता के प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना के तहत सामान्य घटक (₹28.85 करोड़) (iv) सामान्य घटक (₹3 करोड़) तथा कृषि अवसंरचना कोष की योजना के तहत सब्सिडियां (₹17.80 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु खर्चों को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General for (i) General Component under Sub-Mission on Agricultural Mechanization (₹1.50 crore) (ii) Tribal Area Sub-Plan (TSP) Component under National Food Security Mission - Oilseeds and Oil Palm (₹18.52 crore) (iii) General Component (₹28.85 crore) under National Project on Management of Soil Health and Fertility (iv) General Component (₹3 crore) and subsidies (₹17.80 crore) under the scheme of Agriculture Infrastructure Fund.	7.80	...	7.80
(ग) पौध सुरक्षा तथा पौध संगरोध पर उपमिशन के तहत टिड्डी नियंत्रण कार्यों के लिए मोटर वाहन (₹4 करोड़) तथा मशीनरी एवं उपकरण (₹9 करोड़) हेतु खर्चों को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure Motor Vehicles (₹4 crore) and Machinery & Equipment (₹9 crore) for locust control operations under Sub-Mission on Plant Protection and Plant quarantine.	...	13.00	13.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)			
4. आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	4 Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)			
(क) (i) अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों/भागीदारों को भुगतान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन करने की योजना के तहत अन्य प्रशासनिक व्यय (₹24.90 करोड़) तथा (ii) दिनांक 3 जून, 2020 को आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में यथा अनुमोदित पीसीआईएम, एचपीएल एवं पीएलआईएम के मौजूदा संगठन को विलय करने के द्वारा भारतीय औषधि एवं होम्योपैथी औषधकोश आयोग (पीसीआईएम एण्ड एच और नए स्थापित अधीनस्थ कार्यालयों के स्थापना संबंधी व्यय (₹12.69 करोड़) तथा (iii) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता (₹53 करोड़), अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (₹72 करोड़), राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर (₹4 करोड़), राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे (₹24 करोड़) और राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान, बेंगलुरु (₹37 करोड़) स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के लिए व्यय को पूरा करने हेतु।	(a) For meeting expenditure towards (i) Other Administrative Expenses under the scheme Promotion of International Cooperation for making payment to International institutes/partners (₹24.90 crore) and (ii) Pharmacopoeia Commission of Indian Medicine & Homoeopathy (PCIM&H) and establishment related expenditure of newly established sub-ordinate office, as approved in the Cabinet Meeting held on 3rd June, 2020, by merging existing organisation of PCIM, HPL & PLIM (₹12.69 crore) and (iii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme National Institute of Homoeopathy, Kolkata (₹53 crore), All India Institute of Ayurveda (₹72 crore), National Institute of Ayurveda, Jaipur (₹4 crore), National Institute of Naturopathy, Pune (₹24 crore) and National Institute of Unani Medicine, Bangalore (₹37 crore).	190.00	...	190.00
(ख) उत्तर पूर्व आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलॉंग योजना के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदानों के लिए व्यय को पूरा करने हेतु।	(b) For meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets under the scheme North Eastern Institute of Ayurveda and Homeopathy, Shillong.	10.00	...	10.00
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS			
5 रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	5 Department of Chemicals and Petrochemicals			
हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लि. (एचएफएल) की देयताओं को चुकाने हेतु तथा कर्मचारियों के वीआरएस/वीएसएस पर किए गए तात्कालिक व्यय को प्रतिसंतुलित करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि में से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति।	For recoupment of advance from the Contingency Fund of India for off-setting the Immediate expenditure on liabilities as well as VRS/VSS for the employees of Hindustan Fluorocarbons Ltd. (HFL).	...	73.70	73.70
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
8 नागर विमानन मंत्रालय	8 Ministry of Civil Aviation			
व्यावसायिक सेवाओं पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए	For meeting expenditure towards Professional Services.	19.34	...	19.34
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
14. उपभोक्ता मामले विभाग	14 Department of Consumer Affairs			
मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत सामान्य सहायता अनुदान के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under Price Stabilization Fund.	6,000.00	...	6,000.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
15 खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	15 Department of Food and Public Distribution			
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्यों की विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजना को खाद्य सब्सिडी देने हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards food subsidy to Decentralized Procurement Scheme States under National Food Security Act.	10,000.00	...	10,000.00
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
18 रक्षा मंत्रालय (सिविल)	18 Ministry of Defence (Civil)			
(क) उत्तर-पूर्व क्षेत्रों में सामरिक और सीमा सड़कों के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए।	(a) For providing grants for creation of capital asstes for strategic and border roads in North-Eastern areas;	3.00	...	3.00
(ख) सीमा और सामरिक क्षेत्रों में सड़कों के अनुस्क्षण के लिए।	(b) For Maintenance of roads in border and strategic areas.	370.00	...	370.00
(ग) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए राज्य सरकारों को अनुदान प्रदान करने के लिए।	(c) For providing grants to State Governments for creation of capital assets.	27.00	...	27.00
(घ) उत्तर-पूर्व क्षेत्रों में सामरिक और सीमा सड़कों के निर्माण के लिए।	(d) For construction of strategic and border roads in North Eastern areas.	...	80.00	80.00
(ङ) सामरिक और सीमा सड़कों के निर्माण के लिए।	(e) For construction of strategic and border roads.	...	720.00	720.00
20 रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	20 Capital Outlay on Defence Services			
वायु सेना हेतु पूंजीगत अधिग्रहण (₹1,086 करोड़) और केंद्रीय विस्टा परियोजना के संबंध में कार्यालयों के निर्माण (₹150 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	For meeting additional expenditure towards capital acquisition for Air Force (₹1,086 crore) and construction of offices in connection with Central Vista project (₹150 crore).	...	150.00	150.00
विदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
26 विदेश मंत्रालय	26 Ministry of External Affairs			
एयर इंडिया को वीवीआईपी वायुयान के रखरखाव (₹81 करोड़) तथा पासपोर्ट सेवा परियोजना हेतु टीसीएस एवं अन्य सेवा प्रदाताओं को उनकी सेवाओं के लिए अतिरिक्त निधियां (₹280 करोड़) के लिए भुगतान हेतु।	For payment towards maintenance of VVIP aircraft to Air India (₹81 crore) and for additional funds for TCS and other service provider for their services for Passport Seva Projects (₹280 crore).	81.00	...	81.00
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
29 वित्तीय सेवाएं विभाग	29 Department of Financial Services			
(क) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत प्रदान किए गए शिशु ऋणों का उद्यत भुगतान करने पर 2% ब्याज आर्थिक सहायता के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को सब्सिडी हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards Subsidy to Small Industries Development Bank of India (SIDBI) for Interest Subvention of 2% on prompt payment of Shishu Loans extended under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY).	1,232.00	...	1,232.00
(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पात्र उधारकर्ताओं को गारंटी तत्काल ऋण व्यवस्था (जीईसीएल) सुविधा के लिए राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यास कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) को सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting an additional expenditure towards Grants-in-aid General to National Credit Guarantee Trustee Company Limited (NCGTC) for the Guarantee Emergency Credit Line (GECL) facility to eligible MSME borrowers.	4,000.00	...	4,000.00
34 भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग	34 Indian Audit and Accounts Department			
एक आईएएडी, एक प्रणाली हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure for One IAAD, One System Project.	50.00	...	50.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
38 राज्यों को अंतरण पंद्रहवें वित्त आयोग की स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान (₹44,340 करोड़) तथा राज्य आपदा अनुक्रिया निधि को सहायता अनुदान (₹2,262.43 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त आबंटन प्रदान करने के लिए।	38 Transfers to States For providing additional allocation under Post Devolution Revenue Deficit Grant (₹44,340 crore) and Grants-in-aid General for States Disaster Response Fund (₹2,262.43 crore) as per accepted recommendations for Fifteenth Finance Commission.	46,602.43	...	46,602.43
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES			
41 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (क) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम का औपचारिकीकरण (पीएम-एफएमई) स्कीम के अंतर्गत कार्यालयी व्यय (₹5 करोड़), अन्य प्रशासनिक व्यय (₹5 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹3 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹127 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए। (ख) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम का औपचारिकीकरण (पीएम-एफएमई) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए।	41 Ministry of Food Processing Industries (a) For meeting expenditure towards Office Expenses (₹5 crore), Other Administrative Expenses (₹5 crore), Professional Services (₹3 crore) and Grants-in-aid General (₹127 crore) under the scheme PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises (PM-FME). (b) For Grants-in-aid General under the scheme of PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises (PM-FME).	140.00 10.00	140.00 10.00
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
42 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (क) (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹773.48 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹700.01 करोड़) तथा वेतन सहायता अनुदान (₹100.01 करोड़) और (ii) आपातकालीन महामारी तैयारी एवं प्रतिक्रिया ईएपी के तहत आपूर्तियों एवं सामग्रियों के अधिप्रापण (₹3,626 करोड़), केन्द्र शासित प्रदेशों की आपातकालीन महामारी तैयारी एवं प्रतिक्रिया (ईएपी) के लिए (₹85.94 करोड़), राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र हेतु (₹52 करोड़) (ईएपी), डॉ. राममनोहर लोहिया अस्पताल हेतु (₹98 करोड़), सफदरजंग अस्पताल हेतु (₹183 करोड़), लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती एसके अस्पताल हेतु (₹32.80 करोड़) तथा राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु (₹2.20 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए। (ख) कोविड-19 वैश्विक महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया (ईएपी) के लिए सामान्य सहायता अनुदान की ओर अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए। (ग) कोविड-19 वैश्विक महामारी (ईएपी) की रोकथाम के लिए सामान्य सहायता अनुदान की ओर अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए।	42 Department of Health and Family Welfare (a) (i) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹773.48 crore), Grants for creation of Capital Assets (₹700.01 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹100.01 crore) and (ii) (₹3,626 crore) for procurement of supplies and materials, (₹85.94 crore) for UTs (EAP) Emergency Epidemic prepared ness and response (EAP), (₹52 crore) for National Centre for Disease Control (EAP), (₹98 crore) for Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, (₹183 crore) for Safdarjung Hospital, (₹32.80 crore) for Lady Harding Medical College and Smt. S.K. Hospital and (₹2.20 crore) for National Vector Borne Disease Control Programme. (b) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General for containment of COVID-19 pandemic (EAP). (c) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General for containment of COVID-19 pandemic (EAP).	3,763.94 5,915.49 936.53	3,763.94 5,915.49 936.53

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(घ) कोविड-19 वैश्विक महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए मशीनरी और उपकरण की खरीद (₹1098 करोड़ (ईएपी) (i) राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (ईएसी) (₹43 करोड़) (ii) डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली (₹80 करोड़) के लिए मशीनरी और उपकरण (iii) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एण्ड एस.के. हॉस्पिटल, नई दिल्ली (₹30 करोड़) 3. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के लिए मशीनरी और उपकरण, मोटर गाड़ियां तथा प्रमुख कार्यों (₹478 करोड़) के खर्च को पूरा करने के लिए।	(d) For meeting expenditure towards 1. Procurement of Machinery & Equipment for containment of COVID 19 pandemic (₹1098 crore) (EAP) 2. Machinery & Equipment for (i) National Centre for Disease Control (EAP) (₹43 crore) (ii) Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi (₹80 crore) (iii) Lady Hardinge Medical College & Smt. S.K. Hospital, New Delhi (₹30 crore) and 3. Machinery & Equipment, Motor Vehicles and Major Works for Safdarjung Hospital (₹478 crore).	...	1,141.00	1,141.00
43 स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ईएपी के तहत भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के लिए आपातकालीन महामारी तत्परता और प्रतिक्रिया के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु सामान्य सहायता अनुदान एवं अनुदानों के प्रति अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	43 Department of Health Research For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General and Grants for Creation of Capital Assets for Emergency Epidemic Preparedness and Response for Indian Council of Medical Research (ICMR) under EAP.	2,475.00	...	2,475.00
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
63 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (क) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत सामान्य सहायता अनुदान के लिए खर्च पूरा करने हेतु। (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान हेतु खर्च पूरा करने के लिए।	63 Ministry of Labour and Employment (a) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY). (b) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY) for North Eastern Region.	4,374.00 486.00	4,374.00 486.00
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
75 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय कच्चे तेल के भंडार के लिए भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड को अतिरिक्त निधि प्रदान करने के लिए।	75 Ministry of Petroleum and Natural Gas For providing additional fund to Indian Strategic Petroleum Reserves Limited for crude oil reserves	...	3,184.00	3,184.00
रेल मंत्रालय	MINISTRY OF RAILWAYS			
83 रेल मंत्रालय (क) कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं स्वास्थ्य तंत्र तैयारी पैकेज इत्यादि के हिस्से के रूप में चिकित्सा उपकरणों, दवाइयों, पीपीई, आइसोलेशन वॉर्ड के सृजन, कोचों को आइसोलेशन वॉर्ड में बदलने, पराचिकित्सक की लागत, रेल परिसरों और ट्रेनों में अतिरिक्त सफाई, गतिविधियों की खरीदी हेतु व्यय को पूरा करने के लिए (₹620 करोड़)। (ख) 'कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं स्वास्थ्य तंत्र तैयारी पैकेज' इत्यादि के हिस्से के रूप आइसोलेशन वॉर्ड के सृजन,	83 Ministry of Railways (a) For meeting expenditure for purchase of medical equipments, medicines, PPEs, creation of Isolation wards, conversion of coaches into isolation wards, cost of paramedics, additional cleanliness/ activities in Railway Premises and trains as part of COVID-19 Emergency Response and Health System Preparedness Package, etc. (₹620 crore). (b) For meeting expenditure towards creation of isolation wards, purchase of medical equipments as part of 'COVID-	520.00	...	520.00

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
चिकित्सा उपकरणों की खरीदी के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।	19 Emergency Response and Health System Preparedness Package', etc.	...	100.00	100.00
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
85 ग्रामीण विकास विभाग	85 Department of Rural Development			
(क) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री जन धन योजना महिला खाता धारकों (₹30,956.98 करोड़) और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (₹2,814.50 करोड़) के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण हेतु सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	(a) For providing Grants-in-aid General for Direct Benefit Transfer to Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna Women Accounts Holders (₹30,956.98 crore) and Indira Gandhi National Old Age Pension (₹2,814.50 crore) under the scheme National Social Assistance Programme.	33,771.48	...	33,771.48
(ख) (i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (₹32000 करोड़) के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करने के लिए और (ii) राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि (₹40,000 करोड़) में निधियों के अंतरण के लिए।	(b) For (i) providing Grants for Creation of Capital Assets under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Program (₹32,000 crore) and (ii) transfer of funds to National Employment Guarantee Fund (₹40,000 crore).	40,000.00	...	40,000.00
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
88 जैव प्रौद्योगिकी विभाग	88 Department of Biotechnology			
(i) "स्वायत्त संस्थानों को सहायता" के तहत कोविड-19 के परीक्षण हेतु सामान्य सहायता अनुदान के लिए प्रचालन व्यय (₹70 करोड़) (ii) स्वदेशी टीके के विकास और अन्य कोविड-19 समाधानों और जांच संबंधी गतिविधियों को सहायता देने हेतु जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास स्कीम के लिए (₹250 करोड़) और (iii) औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास स्कीम हेतु ताकि भारत के जैव प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य देखभाल संबंधी स्टार्ट अप में उन्हें स्तरीय और सही अर्थों में भारत में निर्मित, वैश्विक रूप से बढ़ती कंपनियों के रूप में बनाने हेतु उन्हें प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जा सके (₹100 करोड़)।	For meeting expenditure (i) and operational expenditure towards Grants-in-aid General for testing of COVID-19 (₹70 crore) under "Assistance to Autonomous Institutions" (ii) towards scheme of Biotechnology Research and Development to support indigenous vaccine development and other COVID 19 solutions and testing related activities (₹250 crore) and (iii) towards scheme of Industrial & Entrepreneurship Development to ensure India's biotech and healthcare start-ups for providing a fillip to scale and become truly Made in India, Going Global Companies (₹100 crore).	350.00	...	350.00
कुल नकद निर्गम	Total Cash Outgo	1,61,522.21	5,461.70	1,66,983.91

3. पूरक मांग अनुदानों के इस बैच में ₹68,868.33 करोड़ रुपए के लिए तकनीकी पूरक अनुदान/विनियोग हेतु प्रस्ताव शामिल हैं जो अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों या मंत्रालयों/विभागों की इसी बचत से मेल खाते हैं। मदें इस प्रकार हैं:-

3. This batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for ₹68,868.33 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments. The items are as follows:

अनुदानों की तकनीकी पूरक मांगें

Technical Supplementary Demands for grants

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
24 इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	24 Ministry of Electronics and Information Technology			
राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के डाटा केन्द्रों तथा क्लाउड	For meeting expenditure towards Machinery			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
सर्विसेज के संबंध में मशीनरी तथा उपकरणों के लिए खर्च को पूरा करने हेतु।	and Equipment in respect of Data Centres and Cloud Services under National Informatics Centre.	...	92.99	92.99
विदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
26 विदेश मंत्रालय	26 Ministry of External Affairs			
(क) जी20 इंडिया प्रेसीडेंसी 2022 के लिए प्रारंभिक तैयारी गतिविधियों को शुरू करने के लिए कार्यालय व्यय (₹10 करोड़), अन्य प्रशासनिक व्यय (₹3 करोड़) और व्यावसायिक सेवाओं (₹2 करोड़) की अतिरिक्त निधि को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional funds towards Office Expenses (₹10 crore), Other Administrative Expenses (₹3 crore) and Professional Services (₹2 crore) for initiating preparatory activities for G20 India Presidency 2022.	15.00	...	15.00
(ख) जी 20 इंडिया प्रेसीडेंसी 2022 के लिए प्रवासी भारतीय केन्द्र के नवीकरण और अनुसंधान के लिए आवश्यक अतिरिक्त निधि को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional funds required for renovation and maintenance of Pravasi Bharatiya Kendra for G20 India Presidency 2022.	...	45.00	45.00
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
27 आर्थिक कार्य विभाग	27 Department of Economic Affairs			
(क) अफ्रीकी विकास निधि (एडीएफ-15) के लिए अंशदान हेतु।	(a) For Contribution towards African Development Fund (ADF-15).	69.89	...	69.89
(ख) प्रतिभूतियों के माध्यम से मूल्य अनुसंधान (एमओवी)-आईएमएफ बाध्यताओं को पूरा करने हेतु।	(b) For meeting expenditure towards Maintenance of Value (MoV)-IMF Obligation through issue of securities.	...	6,122.33	6,122.33
29 वित्तीय सेवाएं विभाग	29 Department of Financial Services			
(क) सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पुनर्पूँजीकरण हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards recapitalisation of Public Sector Banks through issue of Government Securities.	...	20,000.00	20,000.00
(ख) (i) आंशिक ऋण गारंटी स्कीम (₹500 करोड़) और (ii) विशेष नकदी स्कीम न्यास (₹500 करोड़) के अंतर्गत सरकार द्वारा दी गई इन्वोकिंग गारंटी के दावों का निपटान करने हेतु ऋण प्रदान करने के लिए।	(b) For providing Loan for settlement of claims on invoking guarantee given by Government under (i) Partial Credit Guarantee Scheme (₹500 crore) and (ii) Special Liquidity Scheme Trust (₹500 crore).	...	1,000.00	1,000.00
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
44 भारी उद्योग विभाग	44 Department of Heavy Industry			
सहायता अनुदान के रूप में टीएसपीएल को जारी ऋण के रूपांतरण के लिए आयकर विभाग के बकाया कर के भुगतान हेतु (₹39.33 करोड़) और अन्य (₹3.12 करोड़)।	For conversion of loan released to TSPL for payment of outstanding tax liabilities of Income Tax Department (₹39.33 crore) and Others (₹3.12 crore) into Grants-in-aid.	42.45	...	42.45
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
59 उच्चतर शिक्षा विभाग	59 Department of Higher Education			
(क) (i) विभिन्न योजनाओं के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹611.14 करोड़) और (ii) केंद्रीय विश्वविद्यालय योजना के तहत वेतन सहायता अनुदान (₹600 करोड़) तथा	(a) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹611.14 crore) under various schemes (ii) Grant-in-aid aid Salaries under the scheme Central			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(iii) दूरस्थ शिक्षा में राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय-नेटवर्क की स्थापना-शिक्षा के राष्ट्रमंडल में भारत का अंशदान स्कीम के अंतर्गत अंशदान (₹4 करोड़) (iv) वैश्विक भागीदारी हेतु नवोन्मेष योजना के तहत अन्य प्रशानिक व्यय (₹1.69 करोड़) के लिए व्यय को पूरा करने हेतु।	Universities (₹600 crore) and (iii) Contribution under the scheme setting up of Commonwealth University & College-network in Distance Education- India's Contribution to the Commonwealth of Learning (₹4 crore) (iv) Other Administrative Expenses under the scheme Initiatives for global engagement (₹1.69 crore).	700.00	...	700.00
(ख) (i) विभिन्न योजनाओं के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹96.40 करोड़) तथा वेतन सहायता अनुदान (₹143.95 करोड़) (ii) भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना के तहत 'व्यवसायिक सेवाओं' (ईएपी) (₹20 करोड़) के लिए व्यय को पूरा करने हेतु।	(b) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹96.40 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹143.95 crore) under various schemes and (ii) Professional Services' under the scheme Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (EAP) (₹20 Crore)	112.50	...	112.50
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
67 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	67 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises			
निधियों की निधि स्कीम के तहत निवेश हेतु व्यय को पूरा करने के लिए	For meeting expenditure towards Investment under the scheme Fund of funds.	...	500.00	500.00
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
84 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	84 Ministry of Road Transport and Highways			
निम्नलिखित अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 1. मुख्य निर्माण कार्य हेतु (i) सड़क विंग के अंतर्गत हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना की विश्वबैंक विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना (₹300 करोड़), (ii) हरित निर्माण राजमार्ग गलियारा परियोजना के प्रतिपक्ष वित्तपोषण (₹200 करोड़) और (iii) लद्दाख (₹91.57 करोड़) तथा 2. निधियों की अंतर लेखा अंतरण (₹78.46 करोड़)।	For meeting additional expenditure towards 1. Major Works for (i) World Bank Externally Aided Project of Green National Highways Corridor Project under Road Wing (₹300 crore) (ii) Counterpart Funding of Green National Highways Corridor Project (₹200 crore) and (iii) Ladakh (₹91.57 crore) and 2. Inter account Transfer of Funds (₹78.46 crore).	...	156.92	156.92
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
85 ग्रामीण विकास विभाग	85 Department of Rural Development			
(क) निम्नलिखितों के लिए (i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करना (₹32,000 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि को निधि अंतरण (₹40,000 करोड़)।	(a) For (i) providing Grants for Creation of Capital Assets under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Program (₹32,000 crore) and (ii) transfer of funds to National Employment Guarantee Fund (₹40,000 crore).	32,000.00	...	32,000.00
(ख) (i) पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदानों के लिए निधियां (₹8,000 करोड़) और (ii) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार	(b) For providing (i) funds for Grants for Creation of Capital Assets (₹8,000 crore) and (ii) allocation for Capacity			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
गारंटी योजना के तहत उन्नति परियोजना के लिए क्षमता निर्माण एवं तकनीकी सहायता हेतु आवंटन (₹183.71 करोड़)।	Building and Technical Support for project UNNATI (₹183.71 crore) under the scheme Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme'.	8,000.00	...	8,000.00
पर्यटन मंत्रालय	MINISTRY OF TOURISM			
98 पर्यटन मंत्रालय	98 Ministry of Tourism			
महिला निर्भया कोष हेतु सुरक्षित पर्यटक गंतव्य योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	For providing Grants-in-aid General under the scheme Safe Tourist Destination for Women Nirbhaya Funds.	6.25	...	6.25
महिला और बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
100 महिला और बाल विकास मंत्रालय	100 Ministry of Women and Child Development			
राष्ट्रीय पोषाहार मिशन - कार्यक्रम घटक (एकीकृत पोषाहार शिक्षा) के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards Major Works under National Nutrition Mission-Programme Component (Integrated Education in Nutrition).	...	5.00	5.00
कुल तकनीकी	Total Technical	40,946.09	27,922.24	68,868.33

4. निम्नलिखित मदों के संबंध में प्रत्येक के लिए ₹1 लाख की पूरक अनुदान भी प्रस्तावित है, जिसे राजस्व या पूंजी भाग के बचत की पुनर्विनियोजन द्वारा पूरा किया जाएगा, संबंधित अनुदान का जैसा भी मामला हो।

4. Supplementary grants of ₹1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.

सांकेतिक पूरक अनुदान मांगें

Token Supplementary Demands for grants

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE			
1 कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare			
निम्नलिखित सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए (i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-अन्य फसलों के तहत सामान्य घटक (₹8.88 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (एससीएसपी) घटक (₹0.83 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (टीएसपी) घटक (₹1.19 करोड़) (ii) खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन और पाम तेल के तहत सामान्य घटक (₹0.69 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (एससीएसपी) घटक (₹0.02 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (टीएसपी) घटक (₹0.01 करोड़)।	For meeting expenditure towards Grants-in-aid General for (i) General Component (₹8.88 crore), Special Component Plan for Scheduled Castes (SCSP) Component (₹0.83 crore) and for Tribal Area Sub Plan (TSP) Component (₹1.19 crore) under National Food Security Mission-Other Crops and (ii) General Component (₹0.69 crore), SCSP Component (₹0.02 crore) and TSP Component (₹0.01 crore) under National Food Security Mission-Oil Seeds and Oil Palm.	11.62	...	11.62
2 कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	2 Department of Agricultural Research and Education			
स्वच्छता कार्यवाई योजना के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान मुख्यालय प्रशासन परिषद को सामान्य	For meeting expenditure towards Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
सहायता अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	Research Headquarter Administration under Swachhta Action Plan.	0.50	...	0.50
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS			
5 रसायन और पेट्रोसायन विभाग	5 Department of Chemicals and Petrochemicals			
(क) परियोजना विकास प्रकोष्ठों (पीडीसी) और निवेश संवर्धन प्रकोष्ठों के लिए व्यावसायिक सेवाओं (₹0.79 करोड़), कार्यालय व्यय (₹0.16 करोड़) और सूचना प्रौद्योगिकी (ओई) (₹0.12 करोड़) के व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting expenditure towards Professional Services (₹0.79 crore), Office Expenses (₹0.16 crore) and Information Technology (OE) (₹0.12 crore) for Project Development Cells (PDC) and an Investment Promotion Cell.	1.07	...	1.07
(ख) केंद्रीय पेट्रोसायन अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी) को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting expenditure towards providing Grants-in-aid General to Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology (CIPET).	144.00	...	144.00
7 भेषज विभाग	7 Department of Pharmaceuticals			
(i) राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर), मोहाली के नियमित कर्मचारियों एवं पेंशनरों को बकाया का भुगतान (₹9.55 करोड़) (ii) चिकित्सीय उपकरणों हेतु घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए (₹2 करोड़) तथा उत्पादन संबंध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम के अंतर्गत संकटपूर्ण केएसएम/मध्यमवर्ती दवाइयों और एपीआई के घरेलू विनिर्माण का संवर्धन (₹1.55 करोड़)।	For (i) the payment of arrears to regular employees and pensioners of National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER), Mohali (₹9.55 crore) (ii) promoting Domestic Manufacturing for Medical Device (₹2 crore) and promotion of domestic manufacturing of critical KSMs/ Drug Intermediates and APIs (₹1.55 crore) under the scheme Production Linked Incentive (PLI).	13.10	...	13.10
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
8 नागर विमानन मंत्रालय	8 Ministry of Civil Aviation			
कौशल विकास के लिए नागर विमानन क्षेत्र के संस्थानों को सामान्य सहायता अनुदान हेतु।	For Grants-in-aid General to Institutions in Civil Aviation Sector for Skill Development.	1.00	...	1.00
कोयला मंत्रालय	MINISTRY OF COAL			
9 कोयला मंत्रालय	9 Ministry of Coal			
(i) कोयले और लिग्नाइट की अन्वेषण योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने (₹230 करोड़) तथा (ii) कोयला क्षेत्र की परिवहन अवसंरचना की विकास योजना के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उप योजना के तहत सब्सिडी हेतु (₹20 करोड़)।	For (i) providing Grants-in-aid General under the scheme Exploration of Coal and Lignite (₹230 crore) and (ii) subsidies unde Tribal Area Sub Plan under the scheme Development of Transportation Infrastructure in Coalfield Areas (₹20 crore).	250.00	...	250.00
कारपोरेट कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS			
16 कारपोरेट कार्य मंत्रालय	16 Ministry of Corporate Affairs			
किदवाई नगर पूर्व में कार्यालय स्थान के अधिग्रहण हेतु स्टाम्प शुल्क के भुगतान हेतु भारतीय प्रतियोगिता आयोग के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अतिरिक्त अनुदानों को प्रदान करने के लिए।	For providing additional Grants for Creation of Capital Assets for Competition Commission of India for payment of Stamp Duty towards acquisition of office accommodation at East Kidwai Nagar.	12.18	...	12.18

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	MINISTRY OF EARTH SCIENCES			
23 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	23 Ministry of Earth Sciences			
पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के भुगतान हेतु भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान (आईआईटीएम) संस्थान को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।	For providing Grants-in-aid General to Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM) for payment of pension and other retirement benefits.	10.50	...	10.50
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE			
25 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	25 Ministry of Environment, Forests and Climate Change			
(क) हरित भारत मिशन - राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General towards Green India Mission-National Afforestation Programme.	3.10	...	3.10
(ख) निम्न हेतु व्यय को पूरा करने के लिए 1. सामान्य सहायता अनुदान (i) राष्ट्रीय तटीय मिशन (₹200 करोड़) (ईएपी) और (ii) टीएसपी के तहत (₹6 करोड़) और हिमालय संबंधी अध्ययनों पर राष्ट्रीय मिशन हेतु एससीएसपी (₹6 करोड़) और 2. निम्नलिखित के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (i) प्रदूषण उपशमन (₹24.12 करोड़) और (ii) जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान (₹21 करोड़)।	(b) For meeting expenditure towards 1. Grants-in-aid General (i) for National Coastal Mission (₹200 crore) (EAP) and (ii) under TSP (₹6 crore) and SCSP (₹6 crore) for National Mission on Himalayan Studies and 2. Grants for Creation of Capital Assets for (i) Pollution Abatement (₹24.12 crore) and (ii) GP Pant Himalayan Institute of Environment and Development (₹21 crore).	257.12	...	257.12
विदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
26 विदेश मंत्रालय	26 Ministry of External Affairs			
सांस्कृतिक और धरोहर संबंधी परियोजनाओं हेतु सहायता स्कीम के तहत सांस्कृतिक, संरक्षण और धरोहर संबंधी परियोजनाओं के विकास हेतु योगदान के लिए निधियों को पूरा करने हेतु।	For meeting funds towards Contribution for development of cultural, conservation and heritage projects under the scheme Aid for cultural and heritage Projects.	10.00	...	10.00
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
27 आर्थिक कार्य विभाग	27 Department of Economic Affairs			
(क) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र अधिकरण के लिए भुगतान हेतु।	(a) For payment towards International Financial Services Centres Authority.	10.00	...	10.00
(ख) किफायती और मध्यम आय वर्गीय आवासन हेतु विशेष विंडो में निवेश हेतु।	(b) For investment in Special window for affordable and middle-income housing.	...	1,366.14	1,366.14
(ग) अफ्रीकी विकास बैंक (एडीबी) को ब्रिज ऋण हेतु।	(c) For Bridge Loan to African Development Bank (ADB).	...	58.45	58.45
32 प्रत्यक्ष कर	32 Direct Taxes			
(क) (i) नॉरोजी नगर वाणिज्यिक परिसर, नई दिल्ली में एनबीसीसी के माध्यम से कार्यालय आवास और निर्माण कार्य संबंधी क्रय हेतु (₹3 करोड़) (ii) गुरुग्राम में भूमि की खरीद और कार्यालय भवन के निर्माण हेतु (₹4 करोड़) (iii) प्रत्यक्ष कर भवन, नई दिल्ली में किए गए फनीशिंग से जुड़े कार्य को पूरा करने हेतु भुगतान (₹5.64 करोड़) (iv)	(a) For (i) purchase of office accommodation and construction through NBCC at Nauroji Nagar Commercial Complex, New Delhi (₹3 crore) (ii) purchase of land and construction of office buiding at Gurugram (₹4 crore) (iii) payment towards finishing and furnishing work			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
सिंधिया हाउस, बलार्ड इस्टेट, मुम्बई में सिविल, इलैक्ट्रिकल और मैकेनिकल कार्यों के लिए (₹9.42 करोड़) (v) ऐर्नाकुलम, कोच्ची, केरल में आयकर भवन कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु (₹10 करोड़) और (vi) गुंटूर आंध्रप्रदेश में कार्यालय और स्टाफ क्वार्टर के निर्माण हेतु सरकारी अधिग्रहण (₹20.90 करोड़)।	carried out at Pratyaksh Kar Bhawan, New Delhi (₹5.64 crore) (iv) Civil, Electrical and Mechanical works at Scindia House, Ballard Estate, Mumbai (₹9.42 crore), (v) construction of Office complex Ayakar Bhawan at Ernakulam, Kochi, Kerala (₹10 crore) and (vi) Acquisition of Government for construction of office and staff quarter at Guntur, Andhra Pradesh (₹20.90 crore).	...	52.96	52.96
(ख) डिब्रूगढ़ में आयकर विभाग के आवासीय परिसर के निर्माण हेतु।	(b) For construction of residential complex of Income Tax Department at Dibrugarh.	...	5.00	5.00
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय				
39 मत्स्यपालन विभाग				
(क) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के लिए व्यावसायिक सेवाओं (₹0.20 करोड़), सामान्य घटक के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹4.60 करोड़), अनुसूचित जाति उप-योजना (₹0.80 करोड़), जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹0.40 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards Professional Services (₹0.20 crore), Grants-in-aid General under General Component (₹4.60 crore), Scheduled Castes Sub-Plan (0.80 crore), Tribal Area Sub-Plan (₹0.40 crore) for Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY).	6.00	...	6.00
(ख) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के लिए सामान्य घटक के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹41 करोड़), अनुसूचित जाति उप-योजना (₹9 करोड़), जन जातीय क्षेत्र उप योजना (₹6 करोड़) व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under General Component (₹41 crore), Scheduled Castes Sub-Plan (₹9 crore), Tribal Area Sub-Plan (₹6 crore) for Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY).	56.00	...	56.00
(ग) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के लिए सामान्य घटक के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹351 करोड़), अनुसूचित जाति उप-योजना (₹68 करोड़), जन जातीय क्षेत्र उप योजना (₹32 करोड़) व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under General Component (₹351 crore), Scheduled Castes Sub-Plan (₹68 crore), Tribal Area Sub-Plan (₹32 crore) for Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY).	451.00	...	451.00
(घ) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के लिए सामान्य घटक के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹25 करोड़), अनुसूचित जाति उप-योजना (₹15 करोड़), जन जातीय क्षेत्र उप योजना (₹7 करोड़) व्यय को पूरा करने के लिए।	(d) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under General Component (₹25 crore), Scheduled Castes Sub-Plan (₹15 crore), Tribal Area Sub-Plan (₹7 crore) for Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY).	47.00	...	47.00
40 पशुपालन और डेयरी विभाग				
40 Department of Animal Husbandry and Dairying				
(क) राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत सामान्य घटक के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹34.80 करोड़), एससीएसपी घटक के लिए (₹8 करोड़) और टीएसपी घटक (₹8 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General for General Component (₹34.80 crore), for SCSP component (₹8 crore) and for TSP Component (₹8 crore) under National Livestock Mission.	50.80	...	50.80

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ख) राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत सामान्य घटक के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹7 करोड़), एससीएसपी घटक के लिए (₹3.40 करोड़) और टीएसपी घटक (₹1.40 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For Grants-in-aid General for General Component (₹7 crore), for SCSP Component (₹3.40 crore) and for TSP component (₹1.40 crore) under National Livestock Mission.	11.80	...	11.80
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
42 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	42 Department of Health and Family Welfare			
(क) देनदारियों के निपटान हेतु केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के अंतर्गत चिकित्सा उपचार हेतु निम्नलिखित व्यय को पूरा करने के लिए (i) पैनल में शामिल अस्पतालों में सीजीएचएस पेंशनभोगियों को अस्पताल में भर्ती होने पर और (ii) मेडिकल स्टोर संगठन हेतु।	(a) For meeting expenditure towards Medical Treatment under Central Government Pensioners to clear liabilities (i) on hospitalization of CGHS Pensioners in the empanelled hospitals and (ii) of Medical Stores Organization.	745.00	...	745.00
(ख) निम्नलिखित अतिरिक्त अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए (i) पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹143.69 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹12 करोड़) तथा (ii) क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इंफाल के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹22.92 करोड़)।	(b) For meeting additional additional requirement towards (i) Grants-in-aid General (₹143.69 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹12 crore) for North - Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong and (ii) Grants-in-aid General for Regional Institute of Medical Sciences, Imphal (₹22.92 crore).	178.61	...	178.61
(ग) सफदरगंज अस्पताल, नई दिल्ली के लिए मुख्य निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional expenditure towards Major Works for Safdarjung Hospital, New Delhi.	...	41.00	41.00
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
48 पुलिस	48 Police			
राष्ट्रीय इंटेलिजेंस ग्रिड (एनएटीजीआरआईडी) के लिए लघु निर्माण कार्य हेतु व्यय की पूर्ति के लिए।	For meeting expenditure towards Minor Works for National Intelligence Grid (NATGRID).	2.50	...	2.50
51 दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	51 Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu			
डीएनएच विद्युत वितरण और निगम लिमिटेड को ऋण प्रदान करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए।	For meeting additional requirement to provide loans to DNH Power Distribution and Corporation Limited.	...	50.00	50.00
52 लद्दाख	52 Ladakh			
(क) संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के पुलिस विभाग के लिए शस्त्र और गोला बारूद की खरीद के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional requirement for purchase of Arms and Ammunition for the Police Department of UT of Ladakh.	5.00	...	5.00
(ख) संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के लिए बिजली की खरीद के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional requirement for purchase of power for UT of Ladakh.	80.00	...	80.00
53 लक्षद्वीप	53 Lakshadweep			
(क) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायकों के लिए अतिरिक्त मानदेय के भुगतान, आंगनवाड़ी	(a) For meeting expenditure towards payment of additional honorarium to			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
भवनों का किराया आदि हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	Anganwadi Workers/Helpers, rent of Anganwadi buildings etc.	0.88	...	0.88
(ख) पुलिस स्टेशन/पुलिस चौकी/पारगमन/आवास/आवासीय भवनों आदि के निर्माण/पुनःनिर्माण/विशेष मरम्मत के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards constructions/re-construction/special repairs to Police Station/Police Outpost/Transit/Accommodation/Residential Buildings etc.	...	0.35	0.35
(ग) फाइबर कारखानों/हस्तशिल्प/होजरी फैक्टरी भवनों आदि के निर्माण/पुनःनिर्माण/विशेष मरम्मत के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure towards constructions/re-construction/special repairs to Fiber Factory/Handicraft Hosiery Factory buildings etc.	...	0.50	0.50
(घ) पर्यावरण भवन, केंद्रीय कचरा भंडार और बोट शेड भवनों आदि के निर्माण हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	(d) For meeting expenditure towards Construction of Paryavaran Bhawan, Central Garbage Depository and Boat Shed buildings etc.	...	0.60	0.60

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

57 आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय

57 Ministry of Housing and Urban Affairs

(क) स्ट्रीट वेंडर्स हेतु विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा के लिए आत्मनिर्भर स्कीम के तहत प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि में, सामान्य सहायता अनुदान (₹2 करोड़), अंशदान (₹93 करोड़), सब्सिडी (₹55 करोड़) ब्याज (₹90 करोड़), अन्य प्रशासनिक व्यय (₹34.50 करोड़), विज्ञापन एवं प्रचार (₹2 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (₹0.26 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹10 करोड़) और अन्य प्रभार (₹1 करोड़) हेतु व्यय की पूर्ति के लिए।

(a) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹2 crore), Contribution (₹93 crore), Subsidy (₹55 crore), Interest (₹90 crore), Other Administrative Expenses (₹34.50 crore), Advertising & Publicity (₹2 crore), Domestic Travel Expenses (₹0.26 crore), Professional Services (₹10 crore) and Other Charges (₹1 crore) to Pradhan Mantri Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi (PMSVANidhi) under Atma Nirbhar Scheme for Special Micro Credit Facility for Street Vendors.

287.76 ... 287.76

(ख) उच्चतम न्यायालय, पार्लियामेंट वर्क्स, सीबीईसी/सीबीडीटी, मिंटो रोड, नई दिल्ली में स्थित स्टेशनरी एवं प्रिंटिंग बिल्डिंग के सतत जारी मुख्य निर्माण कार्य परियोजनाओं हेतु।

(b) For ongoing Major Works projects of Supreme Court, Parliament Works, CBEC/CBDT, Stationery and Printing Building at Minto Road, New Delhi.

... 500.00 500.00

(ग) निम्नलिखित के लिए भूमि की खरीद हेतु, कोडाइकनाल में होली डे होम के निर्माण (₹400 करोड़), मुख्य निर्माण कार्य के अंतर्गत बीडी मार्ग में लोकसभा के विभिन्न आवासीय परियोजना, लेखापरीक्षा तथा सीबीईसी/सीबीडीटी (₹70 करोड़) और राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली के लिए आवासीय व्यवस्था के निर्माण के लिए (₹5 करोड़)।

(c) For purchase of land for Construction of Holiday Home at Kodaikanal (₹400 crore), various Housing projects of Lok Sabha at BD Marg, Audit and CBEC/CBDT under Major Works (₹70 crore) and construction of Residential Accommodation for Rajya Sabha Secretariat, New Delhi (₹5 crore).

... 475.00 475.00

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

59 उच्चतर शिक्षा विभाग

59 Department of Higher Education

निम्नलिखित व्यय को पूरा करने के लिए (i) केंद्रीय

For meeting expenditure towards (i) Grants-

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
विश्वविद्यालय स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹50 करोड़), राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) (₹29.35 करोड़) और (ii) केंद्रीय विश्वविद्यालय स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹60 करोड़)।	in-aid General under the schemes Central Universities (₹50 Crore), Rashtriya Uchhtar Shiksha Abhiyan (RUSA) (₹29.35 Crore) and (ii) Grants-in-aid Salaries under the scheme Central Universities (₹60 Crore).	139.35	...	139.35
जल शक्ति मंत्रालय	MINISTRY OF JAL SHAKTI			
61 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	61 Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation			
राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना - अन्य बेसिन के तहत संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु (₹20 करोड़) और मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली/भूतल और लघु सिंचाई के तहत (₹100 करोड़)।	For meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets to Union Territory of Jammu & Kashmir under National River Conservation Plan-Other Basin (₹20 crore) and under Repair, Renovation and Restoration/Surface and Minor Irrigation (₹100 crore).	120.00	...	120.00
विधि एवं न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
65 निर्वाचन आयोग	65 Election Commission			
जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड राज्य में विधानसभा और संसदीय क्षेत्र के परिसीमन के लिए मार्च 2020 के दौरान परिसीमन आयोग के स्थापना के व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure of De-limitation Commission set up during month of March, 2020 to de-limit the Assembly and Parliamentary Constituencies in the UT of J&K and the States of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur and Nagaland.	0.17	...	0.17
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
67. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	67 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises			
(क) (i) विपदग्रस्त आस्ति निधियां योजना के तहत अंशदान (₹10 करोड़) एवं (ii) ब्याज आर्थिक सहायता योजना के तहत सब्सिडी (₹15 करोड़) के प्रति खर्चों को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards (i) Contribution under the scheme Distressed Assets Funds (₹10 crore) and (ii) Subsidies (₹15 crore) under the scheme Interest Subvention scheme.	25.00	...	25.00
(ख) (i) विपदग्रस्त आस्ति निधियों योजना के तहत अंशदान (₹90 करोड़) एवं (ii) ब्याज आर्थिक सहायता योजना के तहत सब्सिडी (₹135 करोड़) के प्रति व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards (i) Contribution under the scheme Distressed Assets Funds (₹90 crore) and (ii) Subsidies (₹135 crore) under the scheme Interest Subvention scheme.	225.00	...	225.00
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY			
70. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	70 Ministry of New and Renewable Energy			
(i) सामान्य सहायता अनुदान (₹11.62 करोड़) एवं राष्ट्रीय वायु ऊर्जा संस्थान के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹0.39 करोड़) (ii) राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹1.20 करोड़) तथा	For providing (i) Grants-in-aid General (Rs.11.62 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹0.39 crore) under National Institute of Wind Energy (ii) Grants-in-aid General (₹1.20 crore) and Grants-in-aid			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
वेतन सहायता अनुदान (₹0.80 करोड़) तथा राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹4.50 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹2.50 करोड़) वेतन सहायता अनुदान (₹2 करोड़) प्रदान करने के लिए।	Salaries (₹0.80 crore) under National Institute of Bio Energy and Grants-in-aid General (₹4.50 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹2.50 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹2 crore) under National Institute of Solar Energy.	23.01	...	23.01
पंचायती राज मंत्रालय	MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ			
71. पंचायती राज मंत्रालय	71 Ministry of Panchayati Raj			
ग्रामों का सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी से मानचित्रण (स्वामित्व) योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹77.39 करोड़) एवं कार्यालय व्यय (₹2.26 करोड़) के लिए।	For providing Grants-in-aid General (₹77.39 crore) and Office Expenses (₹2.26 crore) under the scheme Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas (SVAMITVA).	79.65	...	79.65
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
73. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	73 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions			
(क) "राष्ट्रीय सिविल सेवा एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम" की स्थापना हेतु।	(a) For setting up of "National Programme for Civil Services and Capacity Building".	100.00	...	100.00
(ख) "राष्ट्रीय सिविल सेवा एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम" हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure on "National Programme for Civil Services and Capacity Building".	...	100.00	100.00
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
75. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	75 Ministry of Petroleum and Natural Gas			
(i) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब घरों को एलपीजी कनेक्शन की योजना के लाभार्थियों को अतिरिक्त निधियां (₹13,000 करोड़) तथा (ii) इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल) योजना के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के प्रति उत्तर-पूर्वी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की स्थापना (₹278 करोड़)।	For (i) providing additional fund to the beneficiaries of scheme of LPG connection to poor households under Pradhan Mantri Ujjwala Yojna as per Pradhan Mantri Garib Kala Package (₹13,000 crore) and (ii) setting up of North East Natural Gas pipeline towards Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL) (₹278 crore).	13,278.00	...	13,278.00
योजना मंत्रालय	MINISTRY OF PLANNING			
76 योजना मंत्रालय	76 Ministry of Planning			
(क) पुनरुद्धार एवं प्रत्यावर्तन योजना (₹9 करोड़) एवं सूचना प्रौद्योगिकी और (₹3 करोड़) के अंतर्गत लघु कार्य एवं कार्यालय व्यय के प्रति अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting an additional expenditure towards Minor Works and Office Expenses under the schemes Renovation and alteration (₹9 crore) and Information Technology (₹3 crore).	12.00	...	12.00
(ख) विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय हेतु व्यावसायिक सेवाओं के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards Professional Services for Development Monitoring and Evaluation Office.	14.38	...	14.38

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
84 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	84 Ministry of Road Transport and Highways			
अन्तर्राष्ट्रीय सड़क कांग्रेस सहयोग संघ पेरिस के संबंध में शुल्क भुगतान हेतु अंशदान करने के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards Contribution for payment of fee in respect of International Cooperation Association of Road Congress, Paris.	0.08	...	0.08
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
85 ग्रामीण विकास विभाग	85 Department of Rural Development			
(क) (i) दीनदयाल उपाध्याय- ग्रामीण कौशल योजना हेतु (₹2.98 करोड़) अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र तथा (ii) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के तहत लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र को (₹0.55 करोड़) हेतु सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	(a) For providing Grants-in-aid General for (i) Union Territory of Andaman & Nicobar Islands for Deen Dayal Upadhyay-Gramin Kaushal Yojana (₹2.98 crore) and (ii) Union Territory of Ladakh (₹0.55 crore) under the scheme National Rural Livelihood Mission.	3.53	...	3.53
(ख) प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जम्मू और कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्र को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान के लिए।	(b) For providing Grants for Creation of Capital Assets to Union Territory of Jammu & Kashmir under the scheme Pradhan Mantri Awaas Yojana.	427.71	...	427.71
86 भू-संसाधन विभाग	86 Department of Land Resources			
जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख के नवीन सृजित संघ राज्य क्षेत्र हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के एकीकृत जल संभरण विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत आवंटन प्रदान करने (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹44.03 करोड़) तथा केंद्रीय सहायता योजना के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹0.01 करोड़) (ii) अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹9.95 करोड़) तथा पूंजीगत आस्तियों का सृजन हेतु अनुदान (₹0.01 करोड़) (iii) जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹5.99 करोड़) तथा जनजातीय क्षेत्र उप योजना के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹0.01 करोड़)।	For providing allocations under the scheme Integrated Watershed Development Program of Pradhan Mantri Krishi Sinchayi Yojna for the newly created Union of Jammu and Kashmir and Ladakh for (i) Grants-in-aid General (₹44.03 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹0.01 crore) under Central Assistance Plan (ii) Grants-in-aid General (₹9.95 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹0.01 crore) under Special Component Plan for Scheduled Castes and (iii) Grants-in-aid General (₹5.99 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹0.01 crore) under Tribal Area Sub Plan.	60.00	...	60.00
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
87 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	87 Department of Science and Technology			
निम्नलिखित अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) श्री चित्र तिरुनल चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹86 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹50 करोड़) तथा (ii) स्वायत्त संस्थान और वित्तीय निकायों के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹60 करोड़)।	For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General (₹86 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹50 crore) for Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Science and Technology and (ii) Grants-in-aid General towards Autonomous Institutions and Professional Bodies (₹60 crore).	196.00	...	196.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
92 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	92 Department of Social Justice And Empowerment			
निम्नलिखित व्यय को पूरा करने के लिए (i) अनुसूचित जातियों के लिए मुफ्त कोचिंग स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹81 करोड़) और अनुसूचित जाति उपयोगिता के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (₹5 करोड़) (ii) अनुसूचित जातियों के लिए उच्चकोटि की शिक्षा के अंतर्गत छात्रवृत्ति/वृत्तिका (₹127 करोड़) (iii) अनुसूचित जाति के लिए वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता योजना (वीआईएसवीएस) अंतर्गत सब्सिडियां (₹32.13 करोड़) और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए (₹32 करोड़)।	For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General under the scheme free coaching for SCs (₹81 crore) and Special Central Assistance to SCs sub-plan (₹5 crore) (ii) scholarship/stipend under Top Class Education for SCs (₹127 crore) (iii) subsidies under the scheme Vanchit Ikai Samooch aur Vargon ki Arthik Sahayata (VISVAS) Yojna for SCs (₹32.13 crore) and for OBCs (₹32 crore).	277.13	...	277.13
अंतरिक्ष विभाग	DEPARTMENT OF SPACE			
94 अंतरिक्ष विभाग	94 Department of Space			
(क) क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी) (₹0.75 करोड़) और लॉन्च सेवाओं के लिए राजस्व भाग (₹50 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards Grant-in-aid General for Capacity Building Programme (CBP) (₹0.75 Crore) and Revenue share for launch services (₹50 Crore).	50.75	...	50.75
(ख) एडीआईटीवाईए (₹4.70 करोड़), जीएसएटी-29 (₹5 करोड़) और आरआईएसएटी-1ए के अन्य पूंजीगत व्यय (₹62.50 करोड़) के लिए मशीनरी और उपकरण हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Machinery & Equipments for ADITYA (₹4.70 Crore), GSAT-29 (₹5 Crore) and Other Capital Expenditure of RISAT-1A (₹62.50 Crore).	...	72.20	72.20
सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION			
95 सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	95 Ministry of Statistics and Programme Implementation			
भारत में सांख्यिकी सुधार हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम की नई स्कीम का व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards new scheme National Programme for Improving Quality of Statistics in India.	30.40	...	30.40
वस्त्र मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
97 वस्त्र मंत्रालय	97 Ministry of Textiles			
(क) राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदानों के व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme National Technical Textiles Mission.	15.00	...	15.00
(ख) निम्नलिखित व्यय को पूरा करने के लिए (i) वीआरएस तथा अन्य देनदारियों के निपटान हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अनुदान स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹200 करोड़) (ii) मूल्य समर्थित स्कीम के अंतर्गत कपास निगम द्वारा कपास की खरीद स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹200 करोड़)।	(b) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General under the scheme Support to PSUs for clearing the VRS and other liabilities (₹200 crore) (ii) Subsidies under the scheme Procurement of Cotton by Cotton Corporation under Price Support scheme (₹200 crore).	400.00	...	400.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
पर्यटन मंत्रालय	MINISTRY OF TOURISM			
98 पर्यटन मंत्रालय	98 Ministry of Tourism			
निर्भया कोष में निधि अंतरण करने के लिए।	For transfer of funds to Nirbhaya Fund.	6.25	...	6.25
युवा मामले और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS			
101 युवा मामले और खेल मंत्रालय	101 Ministry of Youth Affairs and Sports			
(क) राष्ट्रमंडल खेल स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रभागों हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards Other Charges under scheme Commonwealth Games.	75.00	...	75.00
(ख) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान योजना के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों के व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Laxmibai National Institute of Physical Education.	3.50	...	3.50
कुल सांकेतिक	Total Token	0.50	0.13	0.63
5. आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत की समेकित निधि में से ₹73,70,00,000 करोड़ की अग्रिम धनराशि स्वीकृत की गई थी। अनुदानों की पूरक मांगों के अनुमोदित होने के बाद इसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी।	5. An advance of ₹73,70,00,000 was sanctioned from the Contingency Fund of India for meeting contingency requirement. This will be recouped to the Fund after the Supplementary Demands for Grants are approved.			
कुल जोड़	GRAND TOTAL	2,02,468.80	33,384.07	2,35,852.87
निवल नकद अदायगी	Net Cash Outgo	1,61,522.21	5,461.70	1,66,983.91
तकनीकी पूरक	Technical Supplementary	40,946.09	27,922.24	68,868.33
सांकेतिक पूरक	Token Supplementary	0.50	0.13	0.63

विषय सूची CONTENTS

मांग संख्या और शीर्षक				राजस्व		(₹ करोड़ in ₹ crore)		
No. and Title of Demand				Revenue	पूंजी	जोड़	पृष्ठ	
				Capital	Total	Page		
कृषि एवं कृषक				MINISTRY OF AGRICULTURE AND				
कल्याण मंत्रालय				FARMERS' WELFARE				
1.	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	स्वीकृत	1. Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare	Voted	195.01	13.00	208.01	1
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	स्वीकृत	2. Department of Agricultural Research and Education	Voted	0.01	...	0.01	3
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय				MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)				
4.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	स्वीकृत	4. Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)	Voted	200.00	...	200.00	4
रसायन और उर्वरक मंत्रालय				MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS				
5.	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	स्वीकृत	5. Department of Chemicals and Petrochemicals	Voted	0.02	73.70	73.72	5
7.	भेषज विभाग	स्वीकृत	7. Department of Pharmaceuticals	Voted	0.01	...	0.01	6
नागर विमानन मंत्रालय				MINISTRY OF CIVIL AVIATION				
8.	नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	8. Ministry of Civil Aviation	Voted	19.35	...	19.35	7
कोयला मंत्रालय				MINISTRY OF COAL				
9.	कोयला मंत्रालय	स्वीकृत	9. Ministry of Coal	Voted	0.01	...	0.01	8
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय				MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION				
14.	उपभोक्ता मामले विभाग	स्वीकृत	14. Department of Consumer Affairs	Voted	6000.00	...	6000.00	9
15.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	स्वीकृत	15. Department of Food and Public Distribution	Voted	10000.00	...	10000.00	10
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय				MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS				
16.	कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	16. Ministry of Corporate Affairs	Voted	0.01	...	0.01	11
रक्षा मंत्रालय				MINISTRY OF DEFENCE				
18.	रक्षा मंत्रालय (सिविल)	स्वीकृत	18. Ministry of Defence (Civil)	Voted	400.00	800.00	1200.00	12
20.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	20. Capital Outlay on Defence Services	Voted	...	150.00	150.00	13
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय				MINISTRY OF EARTH SCIENCES				
23.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	स्वीकृत	23. Ministry of Earth Sciences	Voted	0.01	...	0.01	14
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय				MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY				
24.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	स्वीकृत	24. Ministry of Electronics and Information Technology	Voted	...	92.99	92.99	15

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		(₹ करोड़ in ₹ crore)			
				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय		MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE					
25. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	स्वीकृत	25. Ministry of Environment, Forests and Climate Change	Voted	0.02	...	0.02	16
विदेश मंत्रालय		MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS					
26. विदेश मंत्रालय	स्वीकृत	26. Ministry of External Affairs	Voted	96.01	45.00	141.01	17
वित्त मंत्रालय		MINISTRY OF FINANCE					
27. आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत	27. Department of Economic Affairs	Voted	69.90	6122.35	6192.25	18
29. वित्तीय सेवाएं विभाग	स्वीकृत	29. Department of Financial Services	Voted	5232.00	21000.00	26232.00	19
32. प्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	32. Direct Taxes	Voted	...	0.02	0.02	21
34. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	स्वीकृत	34. Indian Audit and Accounts Department	Voted	50.00	...	50.00	22
38. राज्यों को अंतरण	भारित	38. Transfers to States	Charged	46602.43	...	46602.43	23
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय		MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING					
39. मत्स्य पालन विभाग	स्वीकृत	39. Department of Fisheries	Voted	0.04	...	0.04	24
40. पशुपालन और डेयरी विभाग	स्वीकृत	40. Department of Animal Husbandry and Dairying	Voted	0.02	...	0.02	25
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES					
41. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	स्वीकृत	41. Ministry of Food Processing Industries	Voted	150.00	...	150.00	26
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE					
42. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	स्वीकृत	42. Department of Health and Family Welfare	Voted	10615.98	1141.01	11756.99	27
43. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	स्वीकृत	43. Department of Health Research	Voted	2475.00	...	2475.00	29
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES					
44. भारी उद्योग विभाग		44. Department of Heavy Industry	Voted	42.45	...	42.45	30
गृह मंत्रालय		MINISTRY OF HOME AFFAIRS					
48. पुलिस	स्वीकृत	48. Police	Voted	0.01	...	0.01	31
51. दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	स्वीकृत	51. Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu	Voted	...	0.01	0.01	32
52. लद्दाख	स्वीकृत	52. Ladakh	Voted	0.02	...	0.02	33
53. लक्षद्वीप	स्वीकृत	53. Lakshadweep	Voted	0.01	0.03	0.04	34
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS					
57. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	भारित स्वीकृत	57. Ministry of Housing and Urban Affairs	Voted	0.01	0.02	0.03	35
मानव संसाधन विकास मंत्रालय		MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT					
59. उच्चतर शिक्षा विभाग	स्वीकृत	59. Department of Higher Education	Voted	812.51	...	812.51	36

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	(₹ करोड़ in ₹ crore)			पृष्ठ Page
					पूँजी Capital	जोड़ Total		
जल शक्ति मंत्रालय		MINISTRY OF JAL SHAKTI						
61. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	स्वीकृत	61. Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	Voted	0.01	...	0.01		38
श्रम और रोजगार मंत्रालय		MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT						
63. श्रम और रोजगार मंत्रालय	स्वीकृत	63. Ministry of Labour and Employment	Voted	4860.00	...	4860.00		39
विधि और न्याय मंत्रालय		MINISTRY OF LAW AND JUSTICE						
65. निर्वाचन आयोग	स्वीकृत	65. Election Commission	Voted	0.01	...	0.01		40
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES						
67. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	स्वीकृत	67. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	Voted	0.02	500.00	500.02		41
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय		MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY						
70. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	स्वीकृत	70. Ministry of New and Renewable Energy	Voted	0.01	...	0.01		42
पंचायती राज मंत्रालय		MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ						
71. पंचायती राज मंत्रालय	स्वीकृत	71. Ministry of Panchayati Raj	Voted	0.01	...	0.01		43
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS						
73. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	स्वीकृत	73. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	Voted	0.01	0.01	0.02		44
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS						
75. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	स्वीकृत	75. Ministry of Petroleum and Natural Gas	Voted	0.01	3184.00	3184.01		45
योजना मंत्रालय		MINISTRY OF PLANNING						
76. योजना मंत्रालय	स्वीकृत	76. Ministry of Planning	Voted	0.02	...	0.02		46
रेल मंत्रालय		MINISTRY OF RAILWAYS						
83. रेल मंत्रालय	स्वीकृत	83. Ministry of Railways	Voted	520.00	100.00	620.00		47
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS						
84. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	स्वीकृत	84. Ministry of Road Transport and Highways	Voted	0.01	156.92	156.93		48
ग्रामीण विकास मंत्रालय		MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT						
85. ग्रामीण विकास विभाग	स्वीकृत	85. Department of Rural Development	Voted	113771.50	...	113771.50		49
86. भूमि संसाधन विभाग	स्वीकृत	86. Department of Land Resources	Voted	0.01	...	0.01		51
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY						
87. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	87. Department of Science and Technology	Voted	0.01	...	0.01		52

				(₹ करोड़ in ₹ crore)			
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
88. जैव प्रौद्योगिकी विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	स्वीकृत	88. Department of Biotechnology MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT	Voted	350.00	...	350.00	53
92. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	स्वीकृत	92. Department of Social Justice and Empowerment	Voted	0.01	...	0.01	54
अंतरिक्ष विभाग		DEPARTMENT OF SPACE					
94. अंतरिक्ष विभाग	स्वीकृत	94. Department of Space	Voted	0.01	0.01	0.02	55
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION					
95. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	स्वीकृत	95. Ministry of Statistics and Programme Implementation	Voted	0.01	...	0.01	56
वस्त्र मंत्रालय		MINISTRY OF TEXTILES					
97. वस्त्र मंत्रालय	स्वीकृत	97. Ministry of Textiles	Voted	0.02	...	0.02	57
पर्यटन मंत्रालय		MINISTRY OF TOURISM					
98. पर्यटन मंत्रालय	स्वीकृत	98. Ministry of Tourism	Voted	6.26	...	6.26	58
महिला और बाल विकास मंत्रालय		MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT					
100. महिला और बाल विकास मंत्रालय	स्वीकृत	100. Ministry of Women and Child Development	Voted	...	5.00	5.00	59
युवा मामले और खेल मंत्रालय		MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS					
101. युवा मामले और खेल मंत्रालय	स्वीकृत	101. Ministry of Youth Affairs and Sports	Voted	0.02	...	0.02	60
कुल जोड़		GRAND TOTAL		202468.80	33384.07	235852.87	
	भारित		Charged	46602.43	...	46602.43	
	स्वीकृत		Voted	155866.37	33384.07	189250.44	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 1

कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS' WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 देखिये)

(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	134349.45	134349.45
पूंजी	Capital	...	50.32	50.32
जोड़	Total	...	134399.77	134399.77
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	195.01	195.01
पूंजी	Capital	...	13.00	13.00
जोड़	Total	...	208.01	208.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	134607.78	134607.78
राजस्व	Revenue	...	134544.46	134544.46
पूंजी	Capital	...	63.32	63.32
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2401-कृषि कार्य	2401-Crop Husbandry	...	187.20 (का)	187.20
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	7.80 (खb)	7.80
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01 (गc)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	195.01	195.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4401-फसल कार्य पर पूंजी परिव्यय	4401-Capital Outlay on Crop Husbandry	...	13.00 (घd)	13.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	208.01	208.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) कृषि अवसंरचना निधि स्कीम के अंतर्गत सामान्य घटक (₹ 19.90 करोड़) और सब्सिडियों (₹ 119.83 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान।
- (ii) कृषि अवसंरचना निधि स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (₹ 4.48 करोड़) और सब्सिडियों (₹ 26.59 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान।
- (iii) कृषि अवसंरचना निधि स्कीम के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उप-योजना घटक (₹ 2.32 करोड़) और सब्सिडियों (₹ 13.78 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान।
- (iv) कृषि अवसंरचना निधि स्कीम के अंतर्गत कार्यालयी व्यय (₹ 0.30 करोड़)।
- उक्त व्यय में नकद व्यय होगा।
- (ख) (i) कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन के तहत सामान्य घटक के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 1.50 करोड़)।
- (ii) राष्ट्रीय खादय सुरक्षा मिशन-तिलहन एवं तेल पाम के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (टीएसपी) घटक के लिए सहायता अनुदान (₹ 18.52 करोड़)।
- (iii) राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत सामान्य घटक के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 28.85 करोड़)।
- (iv) कृषि अवसंरचना निधि स्कीम के अंतर्गत सामान्य घटक (₹ 3 करोड़) और सब्सिडियों (₹ 17.80 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान।
- इस अनुदान के इसी खंड के तहत उपलब्ध बचतों को देखते हुए इसमें ₹ 7.80 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- (ग) (i) राष्ट्रीय खादय सुरक्षा मिशन- अन्य फसलें के अंतर्गत सामान्य घटक (₹ 8.88 करोड़) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (एससीएसपी) (₹ 0.83 करोड़) तथा जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (टीएसपी) घटक (₹ 1.19 करोड़) हेतु

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Grants in aid General for General Component (₹ 19.90 crore) and Subsidies (₹ 119.83 crore) under the scheme of Agriculture Infrastructure Fund.
- (ii) Grants-in-aid General for Special Component Plan for Scheduled Castes (₹ 4.48 crore) and Subsidies (₹ 26.59 crore) under the scheme of Agriculture Infrastructure Fund.
- (iii) Grants-in-aid General for Tribal Area Sub Plan Component (₹ 2.32 crore) and Subsidies (₹ 13.78 crores) under the scheme of Agriculture Infrastructure Fund.
- (iv) Office Expenses under the scheme of Agriculture Infrastructure Fund (₹ 0.30 crore).
- The above expenditure will entail a net cash outgo;
- (b) (i) Grants-in-aid General for General Component under Sub-Mission on Agricultural Mechanization (₹ 1.50 crore).
- (ii) Grants-in-aid General for Tribal Area Sub-Plan (TSP) Component under National Food Security Mission - Oilseeds and Oil Palm (₹ 18.52 crore).
- (iii) Grants-in-aid General for General Component under National Project on Management of Soil Health and Fertility (₹ 28.85 crore).
- (iv) Grants-in-aid General for General Component (₹ 3 crore) and Subsidies (₹ 17.80 crore) under the scheme of Agriculture Infrastructure Fund.
- Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 7.80 crore.
- (c) (i) Grants-in-aid General for General Component (₹ 8.88 crore), for Special Component Plan for Scheduled Castes (SCSP) (₹ 0.83 crore) and for Tribal Area Sub Plan (TSP) Component

सामान्य सहायता अनुदान।

- (ii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन एवं तेल पाम के अंतर्गत सामान्य घटक (₹ 0.69 करोड़), एससीएसपी (₹ 0.02 करोड़) तथा टीएसपी घटक (₹ 0.01 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (घ) पौध संरक्षण एवं पौध संगरोध पर उप-मिशन के अंतर्गत टिड्डी नियंत्रण प्रचालनों के लिए मोटर वाहन (₹ 4 करोड़) और मशीनरी एवं उपस्कर (₹ 9 करोड़) हेतु व्यय करने के लिए। उक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

- (ii) Grants-in-aid General for General Component (₹ 0.69 crore), for SCSP (₹ 0.02 crore) and for TSP Component (₹ 0.01 crore) under National Food Security Mission - Oilseeds and Oil Palm. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) expenditure for Motor Vehicles (₹ 4 crore) and Machinery & Equipment (₹ 9 crore) for locust control operations under Sub-Mission on Plant Protection and Plant Quarantine. The above expenditure will entail a net cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 2

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 देखिये)

(See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	8362.58	8362.58
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	8362.58	8362.58
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	8362.59	8362.59
राजस्व	Revenue	...	8362.59	8362.59
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2415-कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2415-Agricultural Research and Education	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

स्वच्छता कार्यवाई योजना के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय प्रशासन को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.50 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

Grants-in-Aid General to Indian Council of Agricultural Research Headquarter Administration under Swachhta Action Plan (₹ 0.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 4

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 4 देखिये)

(See page 4 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2122.08	2122.08
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	2122.08	2122.08
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	200.00	200.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	200.00	200.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2322.08	2322.08
राजस्व	Revenue	...	2322.08	2322.08
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	190.00	(क) 190.00
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	10.00	(ख) 10.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	200.00	200.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) व्यय करने के लिए (i) अन्तरराष्ट्रीय संस्थानों पार्टनरों को भुगतान हेतु अन्तरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की स्कीम के संबंध में अन्य प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत (₹ 24.90 करोड़)। (ii) भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएमएण्डएच) के स्थापना व्यय के संबंध में (₹ 12.69 करोड़) और (iii) स्वायत्त निकाय के लिए पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए अनुदान (1) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता (₹ 53 करोड़) (2) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (₹ 72 करोड़) (3) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर (₹ 4 करोड़) (4) राष्ट्रीय प्राकृतिकचिकित्सा संस्थान, पुणे (₹ 24 करोड़) (5) राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बेंगलूर (₹ 37 करोड़)।

इस अनुदान के इसी खंड के तहत उपलब्ध बचतों को देखते हुए इसमें ₹ 190 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(ख) एनआईएचएच, शिलॉंग में पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए (₹ 10 करोड़)।

इसमें ₹ 10 करोड़ नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

(a) Meeting expenditure towards: (i) Other Administrative Expenses (₹ 24.90 crore) in respect of the Scheme Promotion of International Cooperation for making payment to International Institutes/partners. (ii) Establishment Expenditure in respect of Pharmacopoeia Commission of Indian Medicine & Homeopathy (PCIM&H) (₹ 12.69 crore) and (iii) Grant for Creation of Capital Assets for Autonomous Bodies (ABs) (1) National Institute of Homoeopathy, Kolkata (₹ 53 crore), (2) All India Institute of Ayurveda (₹ 72 crore), (3) National Institute of Ayurveda, Jaipur (₹ 4 crore), (4) National Institute of Naturopathy, Pune (₹ 24 crore) and (5) National Institute of Unani Medicine, Bangalore (₹ 37 crore)

Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 190 crore.

(b) Grant for Creation of Capital Asset to North Eastern Institute of Ayurveda and Homeopathy (NEIAH), Shillong (₹ 10 crore)

The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 10 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 5

रसायन और पेट्रोसायन विभाग

DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 5 देखिये)

(See page 5 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	218.34	218.34
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	218.34	218.34
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	73.70	73.70
जोड़	Total	...	73.72	73.72
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	292.06	292.06
राजस्व	Revenue	...	218.36	218.36
पूंजी	Capital	...	73.70	73.70
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	0.01 (का)	0.01
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6856-पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए ऋण	6856-Loans for Petro-Chemical Industries	...	73.70 (गक)	73.70
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	73.72	73.72
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:		
(क)	व्यावसायिक सेवाएं (₹ 0.79 करोड़), कार्यालय व्यय (₹ 0.16 करोड़) और सूचना प्रौद्योगिकी (अन्य व्यय) (₹ 0.12 करोड़) शीर्षों के अंतर्गत परियोजना विकास प्रकोष्ठों (पीडीसी) और निवेश संवर्धन प्रकोष्ठ हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(a)	meeting expenditure for Project Development Cells (PDC) and an Investment Promotion Cell under heads Professional Services (₹ 0.79 crore), Office Expenses (₹ 0.16 crore) and Information Technology(OE) (₹ 0.12 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(ख)	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। केंद्रीय पेट्रोल और रसायन अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी) को सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत वेतन/मजदूरी तथा अन्य व्यय संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 144 करोड़)।	(b)	meeting expenditure relating to Salaries/Wages and other establishment expenditure under Grant-in-Aid General to Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology (CIPET) (₹ 144 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(ग)	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। देयताओं पर हुए तत्काल व्यय को प्रतिसंतुलित करने के लिए तथा हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लि. (एचएफएल) के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेनावृत्ति स्कीम/स्वैच्छिक पृथकरण स्कीम हेतु भारत की आकस्मिकता निधि में से ली गई अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति (₹ 73.70 करोड़)। इसमें नकद व्यय होगा।	(c)	recoupment of advance from the Contingency Fund of India (₹ 73.70 crore) for off-setting the immediate expenditure on liabilities as well as VRS/VSS for the employees of Hindustan Fluorocarbons Ltd.(HFL). The above expenditure will entail a cash outgo;	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 7

भेषज विभाग

DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 देखिये)

(See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	326.40	326.40
पूंजी	Capital	...	7.18	7.18
जोड़	Total	...	333.58	333.58
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	333.59	333.59
राजस्व	Revenue	...	326.41	326.41
पूंजी	Capital	...	7.18	7.18
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान (एनआईपीईआर), मोहाली के नियमित कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बकाया राशि का भुगतान (₹ 9.55 करोड़), (ii) चिकित्सकीय उपकरणों के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम (₹ 2 करोड़) और (iii) महत्वपूर्ण केएसएम/ औषध मध्यवर्ती एवं एपीआई के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम (₹ 1.55 करोड़) के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

- (i) the payment of arrears to regular employees and pensioners of National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER), Mohali (₹ 9.55 crore), (ii) Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Promoting Domestic Manufacturing for Medical Device" (₹ 2 crore) and (iii) Production Linked Incentive (PLI) Scheme for promotion of domestic manufacturing of critical KSMs/Drug Intermediates and APIs (₹ 1.55 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 8

नागर विमानन मंत्रालय

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 देखिये)

(See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3771.74	3771.74
पूंजी	Capital	...	25.97	25.97
जोड़	Total	...	3797.71	3797.71
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	19.35	19.35
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	19.35	19.35
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3817.06	3817.06
राजस्व	Revenue	...	3791.09	3791.09
पूंजी	Capital	...	25.97	25.97
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	19.34 (का)	19.34
3053-नागर विमानन	3053-Civil Aviation	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	19.35	19.35
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:		
(क)	व्यावसायिक सेवाओं के तहत व्यय (₹ 19.34 करोड़) इसमें नकद व्यय होगा।	(a)	expenditure under Professional Services (₹ 19.34 crore). The above expenditure will entail a cash outgo;	
(ख)	कौशल विकास के लिए नागर विमानन क्षेत्र में संस्थाओं को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	Grants-in-aid General to institutions in Civil Aviation Sector for Skill Development (₹ 1 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 9

कोयला मंत्रालय

MINISTRY OF COAL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 देखिये)

(See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	882.61	882.61
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	882.61	882.61
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	882.62	882.62
राजस्व	Revenue	...	882.62	882.62
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2803-कोयला और लिग्नाइट	2803-Coal and Lignite	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) 'कोयला और लिग्नाइट का अन्वेषण'- स्कीम की 'क्षेत्रीय अन्वेषण' उप-स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 230.00 करोड़)।
- (ii) 'कोयला क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास' स्कीम के 'जनजातीय क्षेत्र उप-योजना' के अंतर्गत सब्सिडियां (₹ 20.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

- (i) providing Grants-in-aid General under the sub-scheme 'Regional Exploration' of scheme - 'Exploration of Coal and Lignite' (₹ 230.00 crore).
- (ii) subsidies under 'Tribal Area Sub Plan' of the scheme 'Development of Transportation Infrastructure in Coalfield Areas' (₹ 20.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 14

उपभोक्ता मामले विभाग

DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 देखिये)

(See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2505.60	2505.60
पूंजी	Capital	...	55.40	55.40
जोड़	Total	...	2561.00	2561.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	6000.00	6000.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	6000.00	6000.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	8561.00	8561.00
राजस्व	Revenue	...	8505.60	8505.60
पूंजी	Capital	...	55.40	55.40
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3456-नागरिक आपूर्ति	3456-Civil Supplies	...	6000.00	6000.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

मूल्य स्थिरीकरण निधि के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान
(₹ 6000 करोड़)।
इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

Grants-in-aid General under Price Stabilization Fund
(₹ 6000 crore).
The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 15

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 15 देखिये)

(See page 15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
------------------	------------------	---------------

I. मूल अनुदान:

राजस्व

पूंजी

जोड़

इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:

राजस्व

पूंजी

जोड़

जोड़ (मूल और पूरक)

राजस्व

पूंजी

I. ORIGINAL GRANT:

Revenue

Capital

Total

Supplementary Estimate of the amount now required:

Revenue

Capital

Total

Total (Original plus Supplementary)

Revenue

Capital

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
------------------	------------------	---------------

राजस्व भाग

मुख्य शीर्ष

2408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण

REVENUE SECTION

MAJOR HEAD

2408-Food Storage and Warehousing

...	10000.00	10000.00
-----	----------	----------

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

भारतीय खाद्य निगम को प्रतिपूर्ति हेतु डीसीपी राज्यों को खाद्य सब्सिडी के लिए (₹ 10,000 करोड़)।
इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

food subsidy to DCP States under National Food Security Act (₹ 10,000 crore).
The above expenditure will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 16

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 16 देखिये)

(See page 16 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	700.62	700.62
पूंजी	Capital	...	52.00	52.00
जोड़	Total	...	752.62	752.62
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	752.63	752.63
राजस्व	Revenue	...	700.63	700.63
पूंजी	Capital	...	52.00	52.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (I) पूर्वी किदवई नगर में कार्यालय स्थल के अधिग्रहण हेतु स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को ₹ 12.18 करोड़ की पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के लिए।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

- (I) providing additional Grants for Creation of Capital Assets of ₹ 12.18 crore for Competition Commission of India for payment of Stamp Duty towards acquisition of office accommodation at East Kidwai Nagar.
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 18

रक्षा मंत्रालय (नागरिक)

MINISTRY OF DEFENCE (CIVIL)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 18-19 देखिये)

(See page 18-19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.66	29991.34	29992.00
पूंजी	Capital	40.00	7206.00	7246.00
जोड़	Total	40.66	37197.34	37238.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	400.00	400.00
पूंजी	Capital	...	800.00	800.00
जोड़	Total	...	1200.00	1200.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	40.66	38397.34	38438.00
राजस्व	Revenue	0.66	30391.34	30392.00
पूंजी	Capital	40.00	8006.00	8046.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted		जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	3.00	(का)	3.00
3054-सड़क और पुल	3054-Roads and Bridges	...	370.00	(खब)	370.00
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	27.00	(गक)	27.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	400.00		400.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	...	80.00	(घद)	80.00
5054-सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	720.00	(डे)	720.00
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	800.00		800.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	1200.00		1200.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:			
(क)	पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सामरिक महत्व की और सीमांत सड़कों के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान उपलब्ध कराना (₹ 3 करोड़); इसमें नकद व्यय होगा।	(a)	providing grants for creation of capital assets for strategic and border roads in North-Eastern areas (₹ 3 crore);		This will entail cash outgo.
(ख)	सीमांत एवं रणनीतिक क्षेत्रों में सड़कों का रखरखाव (₹ 370 करोड़); इसमें नकद व्यय होगा।	(b)	maintenance of roads in border and strategic areas (₹ 370 crore);		The above expenditure will entail cash outgo.
(ग)	₹ 27 करोड़ की पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु राज्य सरकारों को अनुदान उपलब्ध कराना। इसमें नकद व्यय होगा।	(c)	providing grants to State Governments for creation of capital assets amounting to ₹ 27 crore;		The above expenditure will entail cash outgo.
(घ)	पूर्वोत्तर क्षेत्र में रणनीतिक एवं सीमांत सड़कों का निर्माण (₹ 80 करोड़); इसमें नकद व्यय होगा।	(d)	construction of strategic and border roads in North Eastern areas (₹ 80 crore);		The above expenditure will entail cash outgo.
(ङ)	रणनीतिक एवं सीमांत सड़कों का निर्माण (₹ 720 करोड़); इसमें नकद व्यय होगा।	(e)	construction of strategic and border roads (₹ 720 crore);		The above expenditure will entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 20

रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 21 देखिये)

(See page 21 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	107.50	113626.50	113734.00
जोड़	Total	107.50	113626.50	113734.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	150.00	150.00
जोड़	Total	...	150.00	150.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	107.50	113776.50	113884.00
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	107.50	113776.50	113884.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4076-रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4076-Capital Outlay on Defence Services	...	150.00	150.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) वायुसेना के लिए पूंजीगत अधिग्रहण हेतु ₹ 1,086 करोड़ के अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। (ii) सेंट्रल विस्टा परियोजना के संबंध में कार्यालय का निर्माण करने के लिए (₹ 150 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, इसमें ₹ 150 करोड़ का नकद पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

(i) additional expenditure of ₹ 1,086 crore towards capital acquisition for Air Force and (ii) construction of offices in connection with Central Vista Project (₹ 150 crore);
Taking into account the savings available in same section of the Grant, cash supplementary for ₹ 150 crore is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 23

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 24 देखिये)

(See page 24 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1902.44	1902.44
पूँजी	Capital	...	172.00	172.00
जोड़	Total	...	2074.44	2074.44
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2074.45	2074.45
राजस्व	Revenue	...	1902.45	1902.45
पूँजी	Capital	...	172.00	172.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3455-मौसम विज्ञान	3455-Meteorology	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

पेंशन और अन्य सेनानिवृत्ति लाभों का भुगतान करने के लिए भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 10.50 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure towards Grants-in-aid General under Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM) for payment of pension and other retirement benefits (₹ 10.50 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 24

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 25 देखिये)

(See page 25 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	6524.03	6524.03
पूंजी	Capital	...	375.00	375.00
जोड़	Total	...	6899.03	6899.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	92.99	92.99
जोड़	Total	...	92.99	92.99
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	6992.02	6992.02
राजस्व	Revenue	...	6524.03	6524.03
पूंजी	Capital	...	467.99	467.99
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	5475-Capital Outlay on Other General Economic Services	...	92.99	92.99

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के अंतर्गत "आंकड़ा केंद्र और क्लाउड सेवाएं" के संबंध में मशीनरी और उपकरणों हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 92.99 करोड़)।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure towards Machinery and Equipment in respect of "Data Centres and Cloud Services" under National Informatics Centre (₹ 92.99 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 25

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 26 देखिये)

(See page 26 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3052.23	3052.23
पूंजी	Capital	...	157.55	157.55
जोड़	Total	...	3209.78	3209.78
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3209.80	3209.80
राजस्व	Revenue	...	3052.25	3052.25
पूंजी	Capital	...	157.55	157.55
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2406-वानिकी और वन्य जीवन	2406-Forestry and Wild Life	...	0.01 (का)	0.01
3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण	3435-Ecology and Environment	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) ग्रीन इंडिया मिशन- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम हेतु सामान्य सहायता अनुदान के लिए व्यय पूरा करने के लिए (₹ 3.10 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) निम्नलिखित हेतु व्यय पूरा करने के लिए 1 (i) राष्ट्रीय तटीय मिशन (₹ 200 करोड़) (ईएपी) तथा (ii) राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन के लिए टीएसपी (₹ 6 करोड़) एससीएसपी (₹ 6 करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान और 2 (i) प्रदूषण रोकथाम (₹ 24.12 करोड़) (ii) जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान (₹ 21 करोड़) हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting expenditure towards GIA general towards Green India Mission-National Afforestation Programme (₹ 3.10 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting expenditure towards 1. Grants-in-aid-General (i) for National Coastal Mission (₹ 200 crore) (EAP) and (ii) under TSP (₹ 6 crore) and SCSP (₹ 6 crore) for National Mission on Himalayan Studies and 2. Grants for Creation of Capital Assets for (i) Pollution Abatement (₹ 24.12 crore) and (ii) GB Pant Himalayan Institute of Environment and Development (₹ 21 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 26

विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 27 देखिये)

(See page 27 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.03	16014.40	16014.43
पूंजी	Capital	...	1332.28	1332.28
जोड़	Total	0.03	17346.68	17346.71
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	96.01	96.01
पूंजी	Capital	...	45.00	45.00
जोड़	Total	...	141.01	141.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.03	17487.69	17487.72
राजस्व	Revenue	0.03	16110.41	16110.44
पूंजी	Capital	...	1377.28	1377.28
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	...	15.00 (क)	15.00
2061-विदेशी मामले	2061-External Affairs	...	81.00 (ख)	81.00
3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	3605-Technical and Economic Co-operation with Other Countries	...	0.01 (ग)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	96.01	96.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	45.00 (घ)	45.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	141.01	141.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) जी 20 भारत की अध्यक्षता 2022 के लिए तैयारी करने संबंधी कार्यकलाप शुरू करने के लिए कार्यालय व्यय (₹ 10 करोड़), अन्य प्रशासनिक व्यय (₹ 3 करोड़) तथा व्यावसायिक सेवाएं (₹ 2 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

मांग सं. 27 - आर्थिक कार्य विभाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) एयर इंडिया को वीवीआईपी वायुयान के अनुरक्षण (₹ 81 करोड़) और पासपोर्ट सेवा परियोजनाओं के लिए टीसीएस तथा अन्य सेवा प्रदाताओं को उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं का भुगतान करने के लिए (₹ 280 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 81 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(ग) सांस्कृतिक व धरोहर परियोजनाओं हेतु सहायता स्कीम के अंतर्गत सांस्कृतिक, संरक्षण एवं धरोहर परियोजनाओं के विकास के लिए अंशदान हेतु निधियां प्रदान करने के लिए (₹ 10 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(घ) जी 20 भारत अध्यक्षता 2022 के लिए प्रवासी भारतीय केन्द्र के नवीकरण और अनुरक्षण के लिए आवश्यक अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

मांग सं. 27 - आर्थिक कार्य विभाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting additional funds towards Office Expenses (₹ 10 crore), Other Administrative Expenses (₹ 3 crore) and Professional Services (₹ 2 crore) for initiating preparatory activities for G20 India Presidency 2022.

Taking into account the surrender of funds available in the Demand No. 27 - DEA, this will not entail any additional cash outgo.

(b) payment towards maintenance of VVIP aircraft to Air India (₹ 81 crore) and for additional funds for TCS and other service provider for their services for Passport Seva Projects (₹ 280 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, the above expenditure will entail cash outgo ₹ 81 crore.

(c) meeting funds towards Contribution for development of cultural, conservation and heritage projects under the scheme Aid for cultural and heritage Projects (₹ 10 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(d) meeting additional funds required for renovation and maintenance of Pravasi Bharatiya Kendra for G20 India Presidency 2022.

Taking into account the surrender of savings available in the Demand No. 27 - DEA, this will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 27

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 28 देखिये)

(See page 28 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3338.25	3338.25
पूंजी	Capital	...	48320.71	48320.71
जोड़	Total	...	51658.96	51658.96
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	69.90	69.90
पूंजी	Capital	...	6122.35	6122.35
जोड़	Total	...	6192.25	6192.25
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	57851.21	57851.21
राजस्व	Revenue	...	3408.15	3408.15
पूंजी	Capital	...	54443.06	54443.06
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3466-अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं	3466-International Financial Institutions	...	69.89 (क)	69.89
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	...	0.01 (ख)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	69.90	69.90
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	5465-Investments in General Financial and Trading Institutions	...	0.01 (ग)	0.01
5466-अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश	5466-Investments in International Financial Institutions	...	6122.33 (घ)	6122.33
7466-अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के लिए ऋण	7466-Loans to International Financial Institutions	...	0.01 (ड)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	6122.35	6122.35
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	6192.25	6192.25
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: The supplementary Grants are required for:				
(क) अफ्रीकी विकास कोष (एडीएफ-15) के प्रति अंशदान (₹ 69.89 करोड़)। व्यय को प्रतिभूतियों के निर्गम के जरिए प्राप्तियों द्वारा पूरा किया जाएगा।	(a) Contribution towards African Development Fund (ADF-15) (₹ 69.89 crore). The expenditure will be matched by receipts through issue of securities.			
प्राप्तियों से पूर्ति होने को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।	Taking into account the matching receipts, the above expenditure will not entail any cash outgo;			
(ख) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण को भुगतान (₹ 10 करोड़)।	(b) payment towards International Financial Services Centres Authority (₹ 10 crore)			
अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.			
(ग) सस्ते एवं मध्य-आय आवासन हेतु विशेष विन्डो में निवेश (₹ 1366.14 करोड़)	(c) Investment in Special window for affordable and middle-income housing (₹ 1366.14 crore).			
अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.			
(घ) प्रतिभूतियों के निर्गम के जरिए -आईएमएफ दायित्व (₹ 6122.33 करोड़) मूल्य बनाए रखने के प्रति व्यय को पूरा करना।	(d) Meeting expenditure towards Maintenance of Value (MoV)-IMF Obligation (₹ 6122.33 crore) through issue of securities.			
प्राप्तियों से पूर्ति होने को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।	Taking into account the matching receipts, the above expenditure will not entail any cash outgo.			
(ड) अफ्रीकी विकास बैंक (एफडीबी) को ब्रिज (₹ 58.45 करोड़)	(e) Bridge Loan to African Development Bank (AfDB) (₹ 58.45 crore)			
चूंकि अनुदान के इस भाग में बचत उपलब्ध है इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।	As saving is available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.			

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 29

वित्तीय सेवा विभाग

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 देखिये)

(See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1474.97	1474.97
पूँजी	Capital	...	27600.05	27600.05
जोड़	Total	...	29075.02	29075.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	5232.00	5232.00
पूँजी	Capital	...	21000.00	21000.00
जोड़	Total	...	26232.00	26232.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	55307.02	55307.02
राजस्व	Revenue	...	6706.97	6706.97
पूँजी	Capital	...	48600.05	48600.05
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2885-उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	2885-Other Outlays on Industries and Minerals	...	1232.00 (का)	1232.00
3465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थान	3465-General Financial and Trading Institutions	...	4000.00 (खब)	4000.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	5232.00	5232.00
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	5465-Investments in General Financial and Trading Institutions	...	20000.00 (गक)	20000.00
7465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों के लिए ऋण	7465-Loans to General Financial and Trading Institutions	...	1000.00 (घद)	1000.00
जोड़ (पूँजी भाग)	Total (Capital Section)	...	21000.00	21000.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	26232.00	26232.00
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !				
Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
7465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों के लिए ऋण	7465-Loans to General Financial and Trading Institutions	...	(-)1000.00	(-)1000.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(क)	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत शिशु ऋण की तुरंत अदायगी पर 2% के ब्याज आर्थिक सहायता हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को सब्सिडी के रूप में ₹ 1232 करोड़।	(a)	₹ 1232 crore as Subsidy to Small Industries Development Bank of India (SIDBI) on Interest Subvention of 2% on prompt repayment of Shishu Loans extended under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) .
	इसमें नकद व्यय होगा।		The above expenditure will entail a cash outgo;
(ख)	एमएसएमई उधारकर्ता को गारंटी तत्काल ऋण श्रृंखला (जीईसीएल) हेतु राष्ट्रीय ऋण गारंटी-न्यास कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) को सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 4000 करोड़ की अतिरिक्त राशि।	(b)	meeting expenditure of ₹ 4000 crore as Grant-in-aid-General to National Credit Guarantee Trustee Company Limited (NCGTC) for the Guarantee Emergency Credit Line (GECL) facility to eligible MSME borrowers.
	इसमें नकद व्यय होगा।		The above expenditure will entail a cash outgo;
(ग)	सरकारी प्रतिभूतियों के निर्गम के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनः पूँजीकरण के लिए ₹ 20000 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(c)	meeting additional expenditure of ₹ 20000 crore towards recapitalisation of Public Sector Banks through issue of Government securities.

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्रतिभूतियों के निर्गम पर अतिरिक्त पावतियों को लेखे में लेने से कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (घ) सरकार द्वारा दी गई शुरुआती गारंटी पर दावों के निपटान हेतु निम्नलिखित के अंतर्गत व्यय पूरा करने के लिए (i) आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना (₹ 500 करोड़) तथा (ii) विशेष लिक्विडिटी योजना ट्रस्ट (₹ 500 करोड़)।

यह राशि भारत के लोक लेखा में रखे 'गारंटी मोचन निधि' से प्राप्त की जानी प्रस्तावित है। इस प्रकार, इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

After taking into account the additional receipts on issue of securities to the Public Sector Banks, this supplementary will not entail cash outgo.

(d) Meeting expenditure towards Loan for settlement of claims on invoking guarantee given by Government under (i) Partial Credit Guarantee Scheme (₹ 500 crore) and (ii) Special Liquidity Scheme Trust (₹ 500 crore)

This amount is proposed to be met from 'Guarantee Redemption Fund' kept in the Public Account of India. Hence, this will not entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 32

प्रत्यक्ष कर

DIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 34 देखिये)

(See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	7733.39	7733.39
पूंजी	Capital	...	332.00	332.00
जोड़	Total	...	8065.39	8065.39
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	8065.41	8065.41
राजस्व	Revenue	...	7733.39	7733.39
पूंजी	Capital	...	332.02	332.02
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01 (का)	0.01
4216-आवास पर पूंजी परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) नौरोजी नगर वाणिज्यिक परिसर, नई दिल्ली में एनबीसीसी के माध्यम से कार्यालय स्थल का क्रय तथा निर्माण (₹ 3 करोड़), (ii) कार्यालय भवन निर्माण के लिए गुरुग्राम में 2.03 एकड़ भूमि की खरीद (₹ 4 करोड़), (iii) प्रत्यक्ष कर भवन, नई दिल्ली में कार्य समाप्त करने तथा कार्यालय सुसज्जित करने हेतु भुगतान (₹ 5.64 करोड़), (iv) सिंधिया हाऊस, बलाई एस्टेट, मुंबई में सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कार्य (₹ 9.42 करोड़), (v) एर्नाकुलम, कोच्चि, केरल में आयकर भवन कार्यालय परिसर का निर्माण (₹ 10 करोड़), तथा (vi) गुंटूर, आंध्र प्रदेश में कार्यालय और स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए 5.02 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु (₹ 20.90 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) डिब्रुगढ़ में आयकर विभाग के आवासीय परिसर का निर्माण (₹ 5 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(a) (i) Purchase of office accommodation and construction through NBCC at Nauroji Nagar Commercial Complex, New Delhi (₹ 3 crore), (ii) Purchase of land measuring 2.03 acre at Gurugram for construction of office building (₹ 4 crore), (iii) Payment towards finishing and furnishing work carried out at Pratyaksh Kar Bhawan, New Delhi (₹ 5.64 crore), (iv) Civil, Electrical and Mechanical works at Scindia House, Ballard Estate, Mumbai (₹ 9.42 crore), (v) Construction of Office Complex Aayakar Bhawan at Ernakulam, Kochi, Kerala (₹ 10 crore), and (vi) Acquisition of Government land measuring 5.02 acre for construction of office and staff quarters at Guntur, Andhra Pradesh (₹ 20.90 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) Construction of residential complex of Income Tax Department at Dibrugarh (₹ 5 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 34
भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 36 देखिये)

(See page 36 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	186.46	5178.81	5365.27
पूंजी	Capital	...	18.00	18.00
जोड़	Total	186.46	5196.81	5383.27
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	50.00	50.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	50.00	50.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	186.46	5246.81	5433.27
राजस्व	Revenue	186.46	5228.81	5415.27
पूंजी	Capital	...	18.00	18.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2016-लेखा परीक्षा	2016-Audit	...	50.00	50.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

"एक आईएएडी, एक प्रणाली" के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure for "One IAAD, One System" Project.

The above expenditure will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 38

राज्यों को अंतरण

TRANSFERS TO STATES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 40 देखिये)

(See page 40 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	149924.80	46930.00	196854.80
पूंजी	Capital	25100.00	...	25100.00
जोड़	Total	175024.80	46930.00	221954.80
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	46602.43	...	46602.43
पूंजी	Capital
जोड़	Total	46602.43	...	46602.43
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	221627.23	46930.00	268557.23
राजस्व	Revenue	196527.23	46930.00	243457.23
पूंजी	Capital	25100.00	...	25100.00
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	46602.43	...	46602.43

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

पंद्रहवें वित्त आयोग की स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त आबंटन (₹ 44340 करोड़) तथा राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (₹ 2262.43 करोड़) हेतु सहायता अनुदान।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant/Appropriation is required for:

providing additional allocation under Post Devolution Revenue Deficit Grant (₹ 44340 crore and Grants-in-Aid General for States Disaster Response Fund (₹ 2262.43 crore) as per accepted recommendations of Fifteenth Finance Commission. The above expenditure will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 39

मत्स्य पालन विभाग

DEPARTMENT OF FISHERIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 41 देखिये)

(See page 41 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	805.84	805.84
पूंजी	Capital	...	19.16	19.16
जोड़	Total	...	825.00	825.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.04	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	825.04	825.04
राजस्व	Revenue	...	805.88	805.88
पूंजी	Capital	...	19.16	19.16
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2405-मत्स्य पालन	2405-Fisheries	...	0.01 (का)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (खb)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01 (गc)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01 (घd)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.04	0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:	
(क)	(i) प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत व्यावसायिक सेवा पर व्यय (₹ 0.20 करोड़)।	(a)	(i) expenditure on Professional Service under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) (₹ 0.20 crore).
	(ii) पीएमएमएसवाई के अंतर्गत सामान्य घटक (₹ 4.60 करोड़), अनुसूचित जाति उप-योजना (₹ 0.80 करोड़), जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹ 0.40 करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान।		(ii) Grants-in-aid General under General Component (₹ 4.60 crore), Scheduled Castes Sub-Plan (₹ 0.80 crore), Tribal Area Sub-Plan (₹ 0.40 crore) under PMMSY.
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	पीएमएमएसवाई के अंतर्गत सामान्य घटक (₹ 41 करोड़), अनुसूचित जाति उप-योजना (₹ 9 करोड़), जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹ 6 करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान।	(b)	Grants-in-aid General under General Component (₹ 41 crore), Scheduled Castes Sub-Plan (₹ 9 crore), Tribal Area Sub-Plan (₹ 6 crore) under PMMSY.
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	पीएमएमएसवाई के अंतर्गत सामान्य घटक (₹ 351 करोड़), अनुसूचित जाति उप-योजना (₹ 68 करोड़), जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹ 32 करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान।	(c)	Grants-in-aid General under General Component (₹ 351 crore), Scheduled Castes Sub-Plan (₹ 68 crore), Tribal Area Sub-Plan (₹ 32 crore) under PMMSY.
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	पीएमएमएसवाई के अंतर्गत सामान्य घटक (₹ 25 करोड़), अनुसूचित जाति उप-योजना (₹ 15 करोड़), जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹ 7 करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान।	(d)	Grants-in-aid General under General Component (₹ 25 crore), Scheduled Castes Sub-Plan (₹ 15 crore), Tribal Area Sub-Plan (₹ 7 crore) under PMMSY.
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 40

पशु पालन और डेरी कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 42 देखिये)

(See page 42 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3657.42	3657.42
पूंजी	Capital	...	46.71	46.71
जोड़	Total	...	3704.13	3704.13
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3704.15	3704.15
राजस्व	Revenue	...	3657.44	3657.44
पूंजी	Capital	...	46.71	46.71
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2403-पशु पालन	2403-Animal Husbandry	...	0.01 (का)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) राष्ट्रीय पशु धन मिशन के अन्तर्गत सामान्य घटक के लिए (₹ 34.80 करोड़), एससीएसपी घटक (₹ 8 करोड़) और टीएसपी घटक (₹ 8 करोड़) हेतु सामान्य सहायता अनुदान।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) राष्ट्रीय पशु धन मिशन के तहत सामान्य घटक के लिए (₹ 7 करोड़), एससीएसपी घटक के लिए (₹ 3.40 करोड़) और टीएसपी घटक के लिए (₹ 1.40 करोड़) हेतु सामान्य सहायता अनुदान।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(a) Grants-in-aid General for General Component (₹ 34.80 crore), for Scheduled Castes Sub-Plan(SCSP) component (₹ 8 crore) and for Tribal Area Sub-Plan (TASP) Component (₹ 8 crore) under National Livestock Mission.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) Grants-in-aid General for General Component (₹ 7 crore), for SCSP Component (₹ 3.40 crore) and for TASP component (₹ 1.40 crore) under National Livestock Mission.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 41

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 43 देखिये)

(See page 43 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1232.94	1232.94
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	1232.94	1232.94
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	150.00	150.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	150.00	150.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1382.94	1382.94
राजस्व	Revenue	...	1382.94	1382.94
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	2408-Food Storage and Warehousing	...	140.00 (का)	140.00
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	10.00 (खब)	10.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	150.00	150.00
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:		
(क)	प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण स्कीम (पीएम-एफएमई) स्कीम के अन्तर्गत व्यय करने के लिए (i) कार्यालय व्यय (₹ 5 करोड़), (ii) अन्य प्रशासनिक व्यय (₹ 5 करोड़), (iii) व्यावसायिक सेवाएं (₹ 3 करोड़) तथा (iv) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 127 करोड़).	(a)	meeting expenditure under the scheme of PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises (PM-FME) towards (i) Office Expenses (₹ 5 crore), (ii) Other Administrative Expenses (₹ 5 crore), (iii) Professional Services (₹ 3 crore) and (iv) Grant-in-aid General (₹ 127 crore).	
	इसमें नकद व्यय होगा।		The above expenditure will entail a net cash outgo.	
(ख)	(पीएम-एफएमई) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10 करोड़)।	(b)	Grant-in-aid General under the scheme of PM -FME (₹ 10 crore).	
	इसमें नकद व्यय होगा।		The above expenditure will entail a net cash outgo.	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 42
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 44 देखिये)

(See page 44 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	104590.24	104590.24
पूँजी	Capital	...	1733.60	1733.60
जोड़	Total	...	106323.84	106323.84
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	10615.98	10615.98
पूँजी	Capital	...	1141.01	1141.01
जोड़	Total	...	11756.99	11756.99
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	118080.83	118080.83
राजस्व	Revenue	...	115206.22	115206.22
पूँजी	Capital	...	2874.61	2874.61
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-Pensions and other Retirement Benefits	...	0.01 (का)	0.01
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	3763.94 (खb)	3763.94
2552-पूर्वांतर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (गc)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	5915.49 (घd)	5915.49
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	936.53 (डe)	936.53
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	10615.98	10615.98
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूँजी परिव्यय	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health	...	1141.00 (चf)	1141.00
4216-आवास पर पूँजी परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	...	0.01 (छg)	0.01
जोड़ (पूँजी भाग)	Total (Capital Section)	...	1141.01	1141.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	11756.99	11756.99

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (क) चिकित्सा उपचार - केंद्र सरकार पेंशनभोगी (₹ 745 करोड़) - पैलन में शामिल अस्पतालों में सीजीएचएस पेंशनभोगी के अस्पताल में भर्ती होने पर लंबित देयताओं का निपटान करने के लिए और चिकित्सा भण्डार संगठन की देयताओं की निपटान करने के लिए।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) कोविड-19 वैश्विक महामारी की रोकथाम हेतु निम्नलिखित संस्थानों के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान-चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़ (₹ 85 करोड़), प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) (₹ 500 करोड़), जवाहरलाल आर्युविज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान (जेआईपीएमईआर), पुदुचेरी (₹ 18.47 करोड़), अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (₹ 100 करोड़), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (जीबीएस) - मुख्यालय - राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (एनडीएचएम) - (₹ 60 करोड़), नर्सिंग सेवाओं का विकास - नर्सिंग के विद्यमान स्कूलों का सुदृढीकरण - नर्सिंग के विद्यमान स्कूलों को कॉलेज में उन्नयन हेतु (₹ 10 करोड़) और राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य पेशेवरों हेतु आयोग (₹ 0.01 करोड़) (ii) कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण पूँजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान - निम्नलिखित संस्थानों के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए :- जवाहर लाल चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान पुदुचेरी (₹ 100 करोड़)। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) (₹ 300 करोड़) और राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य पेशेवरों हेतु आयोग (₹ 0.01 करोड़) और आर्युविज्ञान शिक्षा व

The supplementary Grants are required for:

- (a) Medical Treatment - Central Government Pensioners - (₹ 745 crore.) - To clear liabilities on hospitalization of CGHS Pensioners in the empanelled hospitals and to clear liabilities of Medical Stores Organization.
Taking into account the savings available in the same Section of the Grant, a Token Supplementary is sought.
- (b) (i) Grants in aid General for meeting additional requirement under the following Institutions for containment of COVID-19 pandemic :- Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (₹ 85 crore), Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY) (₹ 500 crore), Jawahar Lal Institute of Post-graduate Medical Education and Research (JIPMER, Puduchery) (₹ 18.47 crore), All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. (100 crore), National Health Authority (GBS) - Headquarters - National Digital Health Mission (NDHM) (₹ 60 crore), Development of Nursing Services - Strengthening of existing Schools of Nursing - For upgrading the existing Schools into Colleges of Nursing (₹ 10 crore) and also for National Commission for Allied & Health Care Professionals (₹ 0.01 crore) (ii) Grants for creation of Capital Assets for meeting additional requirement under the following Institutions to meet due to outbreak of pandemic COVID-19:- JIPMER, Puducherry, (₹ 100 crore), PMSSY (₹ 300 crore) and also for

अनुसंधान, चंडीगढ़ (₹ 300 करोड़), (iii) निम्नलिखित संस्थानों के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए - वेतन सहायता अनुदान राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य पेशेवरों हेतु आयोग (₹ 0.01 करोड़) और आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान स्नाकोत्तर संस्थान चंडीगढ़ (₹ 100 करोड़) (iv) कोविड-19 वैश्विक महामारी रोकने के लिए निम्नलिखित योजनाओं/कार्यक्रमों/संस्थानों/संगठनों के संबंध में सामान्य सहायता के अलावा व्यय की अन्य मदों पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए : आपातकालीन महामारी तैयारी एवं प्रतिक्रिया (ईएपी) हेतु पूर्ति एवं सामग्री का अधिप्रापण (₹ 3626 करोड़), आपातकालीन महामारी तैयारी एवं प्रतिक्रिया (ईएपी) - संघशासित क्षेत्रों में व्यय (ईएपी) - (₹ 85.94 करोड़), राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र नई दिल्ली (ईएपी) (₹ 52 करोड़), डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली (₹ 98 करोड़), सफदरगंज अस्पताल, नई दिल्ली (₹ 183 करोड़), लेडी हार्डिंग चिकित्सा महाविद्यालय एवं श्रीमती एसके अस्पताल, नई दिल्ली - ₹ 32.80 करोड़ तथा पेशेवर सेवाओं हेतु राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय (मुख्यालय) (₹ 2.20 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें ₹ 3763.94 करोड़ का नकद व्यय होगा।

- (ग) (i) निम्नलिखित संस्थानों के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान- उत्तर-पूर्व इंदिरा गांधी स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान क्षेत्रीय संस्थान, शिलांग (₹ 143.69 करोड़) तथा आयुर्विज्ञान क्षेत्रीय संस्थान, इंफाल (₹ 22.92 करोड़) और (ii) उत्तर-पूर्व इंदिरा गांधी स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान क्षेत्रीय संस्थान, शिलांग के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 12 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक अनुदान मांगा जाता है।

- (घ) (i) कोविड-19 वैश्विक महामारी रोकथाम के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (ईएपी) (₹ 5915.49 करोड़)। इसमें ₹ 5915.49 करोड़ का व्यय होगा।
- (ङ) कोविड-19 वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (ईएपी) (₹ 936.53 करोड़)। ईएपी के अंतर्गत इसमें ₹ 936.53 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- (च) निम्नलिखित योजनाओं/कार्यक्रमों/संस्थानों के तहत अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूरा अनुदान अपेक्षित है:- 1. आपातकालीन महामारी तैयारी एवं प्रतिक्रिया हेतु मशीनरी एवं उपकरण का अधिप्रापण (₹ 1098 करोड़) - (ईएपी), राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (ईएपी) मशीनरी एवं उपकरण के लिए (₹ 43 करोड़) सफदरगंज अस्पताल, नई दिल्ली मशीनरी एवं उपकरण, मोटर वाहन तथा प्रमुख कार्य हेतु (₹ 478 करोड़), डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली- (मशीनरी एवं उपकरण हेतु (₹ 80 करोड़) और मशीनरी एवं उपकरण हेतु लेडी हार्डिंग चिकित्सा महाविद्यालय तथा श्रीमती एस.के. हस्पताल, नई दिल्ली (₹ 30 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 1141 करोड़ का नकद व्यय होगा।

- (छ) सफदरगंज हस्पताल, नई दिल्ली के लिए मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत आवश्यक अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 41 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरा अनुदान मांगा जाता है।

National Commission for Allied & Health Care Professionals (₹ 0.01 crore) and Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (₹ 300 Crore) (iii) Grants in aid Salaries for meeting additional requirement under the following Institutions:- National Commission for Allied & Health Care Professionals (₹ 0.01 crore) and Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (₹ 100 Crore) (iv) For meeting additional expenditure on items of expenditure other than Grants-in-aid in respect of following schemes / programmes / Institutions / Organizations for containment of COVID 19 pandemic: Procurement of Supplies & Materials for Emergency Epidemic Preparedness and Response (EAP) (₹ 3626 crore), Emergency Epidemic Preparedness and Response - Expenditure in UTs(EAP) (₹ 85.94 crore), National Centre for Disease Control, New Delhi (EAP) (₹ 52 crore), Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi (₹ 98 crore), Safdarjung Hospital, New Delhi (₹ 183 crore), Lady Hardinge Medical College & Smt. S. K. Hospital, New Delhi (₹ 32.80 crore) and National Vector Borne Disease Control Programme Dte. (Headquarter) for Professional Services(₹ 2.20 crore) .

Taking into account the savings available in the same section of the grant, this will entail a cash outgo of ₹ 3763.94 crore .

- (i) Grants in aid General for meeting additional requirement under the Institutions:- North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong (₹ 143.69 Crore) and Regional Institute of Medical Sciences, Imphal (₹ 22.92 Crore) and (ii) Grant in Aid Salary under the institution North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong (₹ 12 Crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) Grants-in-aid General for meeting additional requirement for containment of COVID 19 pandemic (EAP)(₹ 5915.49 crore). This will entail a cash outgo of ₹ 5915.49 crore.

For meeting additional requirement under Grants-in-aid General for containment of COVID 19 pandemic (EAP) (₹ 936.53 crore). This will entail a Cash outgo of ₹ 936.53 crore under EAP .

For meeting the additional requirement under the following Schemes/Programmes/Institutions etc.:- 1. Procurement of Machinery & Equipment for containment of COVID 19 pandemic (EAP) (₹ 1098 crore), National Centre for Disease Control (EAP) for Machinery & Equipment (₹ 43 crore), Safdarjung Hospital, New Delhi for Machinery & Equipment, Motor Vehicle and Major Works (₹ 478 crore), Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi for Machinery & Equipment (₹ 80 crore) and Lady Hardinge Medical College & Smt. S.K. Hospital, New Delhi for Machinery & Equipment. (₹ 30 Crore)

Taking into account the savings available in the same section of the grant, this will entail a cash outgo of ₹ 1141 crore.

For meeting additional expenditure required under Major Works for Safdarjung Hospital, New Delhi (₹ 41 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 43

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 46 देखिये)

(See page 46 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2100.00	2100.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	2100.00	2100.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	2475.00	2475.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	2475.00	2475.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	4575.00	4575.00
राजस्व	Revenue	...	4575.00	4575.00
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	2475.00	2475.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (I) ईएसी के अंतर्गत आपातकालीन महामारी तैयारी एवं अनुक्रिया के लिए सामान्य सहायता अनुदान और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान सन्निहित ₹ 2475 करोड़ राशि की आईसीएमआर की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
इसमें ₹ 2475 करोड़ नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

- (I) For meeting the additional expenditure of Indian Council of Medical Research (ICMR) comprising of Grant in Aid General & Grant for Creation of Capital Assets for Emergency Epidemic Preparedness and Response under EAP (₹ 2475 crore) .
The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 2475 crore

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 44

भारी उद्योग विभाग

DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 47 देखिये)

(See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	930.35	930.35
पूंजी	Capital	...	559.63	559.63
जोड़	Total	...	1489.98	1489.98
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	42.45	42.45
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	42.45	42.45
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1532.43	1532.43
राजस्व	Revenue	...	972.80	972.80
पूंजी	Capital	...	559.63	559.63
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries	...	42.45	42.45

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

मंत्रिमंडल के दिनांक 10.01.2018 के निर्णय के अनुसार आयकर विभाग (₹ 39.33 करोड़) और अन्य (₹ 3.12 करोड़) की बकाया कर देनदारियों के भुगतान के लिए टीएसपीएल को जारी ऋण (₹ 42.45 करोड़) को सहायता अनुदान में परिवर्तित करने के लिए।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

Conversion of loan (₹ 42.45 crore) released to TSPL for payment of outstanding tax liabilities of Income Tax Department (₹ 39.33 crore) and Others (₹ 3.12 crore) into Grants -in-Aid as per Cabinet decision dated 10.01.2018.

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 48

पुलिस
POLICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 52 देखिये)

(See page 52 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	6.77	96743.93	96750.70
पूंजी	Capital	4.42	9854.45	9858.87
जोड़	Total	11.19	106598.38	106609.57
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	11.19	106598.39	106609.58
राजस्व	Revenue	6.77	96743.94	96750.71
पूंजी	Capital	4.42	9854.45	9858.87
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2055-पुलिस	2055-Police	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

नेशनल इंटेलीजेंस ग्रिड (एनएटीजीआरआईडी) के लिए 'लघु कार्य' लेखा का एक नया शीर्ष खोलना (₹ 2.50 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

opening of a new head of account 'Minor Work' for National Intelligence Grid (NATGRID) (₹ 2.50 crore) .
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 51
दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव

DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 59 देखिये)

(See page 59 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2768.10	2768.10
पूंजी	Capital	...	752.42	752.42
जोड़	Total	...	3520.52	3520.52
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3520.53	3520.53
राजस्व	Revenue	...	2768.10	2768.10
पूंजी	Capital	...	752.43	752.43
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6801-विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	6801-Loans for Power Projects	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

डीएनएच विद्युत संवितरण और निगम लिमिटेड को ऋण प्रदान करने की अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करने के लिए (₹ 50 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

meeting the additional requirement to provide loans to DNH Power Distribution and Corporation Limited. (₹ 50 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 52

लद्दाख

LADAKH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 62 देखिये)

(See page 62 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2331.72	2331.72
पूंजी	Capital	...	3626.28	3626.28
जोड़	Total	...	5958.00	5958.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	5958.02	5958.02
राजस्व	Revenue	...	2331.74	2331.74
पूंजी	Capital	...	3626.28	3626.28
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2055-पुलिस	2055-Police	...	0.01 (का)	0.01
2801-विद्युत	2801-Power	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:		
(क)	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस विभाग के लिए हथियार और गोला बारूद की खरीद के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 5 करोड़)।	(a)	meeting the additional requirement for purchase of Arms and Ammunition for the Police Department of UT of Ladakh. (₹ 5 crore)	
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(ख)	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए विद्युत की खरीद के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 80 करोड़)।	(b)	meeting the additional requirement for purchase of Power for UT of Ladakh. (₹ 80 crore)	
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 53

लक्षद्वीप

LAKSHADWEEP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 64 देखिये)

(See page 64 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1174.84	1174.84
पूंजी	Capital	...	201.62	201.62
जोड़	Total	...	1376.46	1376.46
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.03	0.03
जोड़	Total	...	0.04	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1376.50	1376.50
राजस्व	Revenue	...	1174.85	1174.85
पूंजी	Capital	...	201.65	201.65
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01	(का) 0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police	...	0.01	(खब) 0.01
4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4851-Capital Outlay on Village and Small Industries	...	0.01	(गक) 0.01
5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	5425-Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research	...	0.01	(घद) 0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.03	0.03
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.04	0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) आंगनवाड़ी कामगारों/श्रमिकों को अतिरिक्त मानेदय के भुगतान, आंगनवाड़ी इमारतों आदि के किराए का भुगतान करने हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.88 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) पुलिस स्टेशन/पुलिस आउटपोस्ट/पारगमन निवास/आवासीय भवनों आदि के निर्माण/ पुनर्निर्माण/ विशेष मरम्मत हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.35 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) फाइबर फैक्टरी/हस्तशिल्प/होजरी फैक्टरी भवन आदि के निर्माण/ पुनर्निर्माण/ विशेष मरम्मत हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.50 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (घ) पर्यावरण भवन, केन्द्रीय कचरा भंडारगृह और बोट शेड भवनों आदि के निर्माण हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.60 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting the expenditure towards payment of additional honorarium to Anganwadi Workers/ Helpers, rent of Anganwadi buildings etc. (₹ 0.88 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting the expenditure towards construction/re-construction/ special repairs to Police Station/Police Outpost/Transit Accommodation/Residential Buildings etc. (₹ 0.35 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) meeting the expenditure towards construction/re-construction/ special repairs to Fiber Factory/Handicraft/ Hosiery Factory buildings etc. (₹ 0.50 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) meeting the expenditure towards Construction of Paryavaran Bhawan, Central Garbage Depository and Boat Shed Buildings etc. (₹ 0.60 crore)
Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 57

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 70 देखिये)

(See page 70 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	103.81	36533.39	36637.20
पूँजी	Capital	44.82	21104.20	21149.02
जोड़	Total	148.63	57637.59	57786.22
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	148.63	57637.62	57786.25
राजस्व	Revenue	103.81	36533.40	36637.21
पूँजी	Capital	44.82	21104.22	21149.04

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	...	0.01 (का)	0.01
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूँजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01 (खब)	0.01
4216-आवास पर पूँजी परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	...	0.01 (गक)	0.01
जोड़ (पूँजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.02	0.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.03	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) सड़क विक्रेता वालों के लिए विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा के लिए आत्मनिर्भर स्कीम के अंतर्गत प्रधानमंत्री सड़क विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम-एसबीए निधि) - सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2 करोड़), अंशदान (₹ 93 करोड़), सब्सिडी (₹ 55 करोड़) ब्याज (₹ 90 करोड़), अन्य प्रशासनिक व्यय (₹ 34.50 करोड़), विज्ञापन और प्रचार (₹ 2 करोड़), डीटीई (₹ 0.26 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹ 10 करोड़) और अन्य प्रभार (₹ 1 करोड़) के लिए।

(ख) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ग) मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय संसद के निर्माण कार्य, सीबीईसी/सीबीडीटी, मिण्टो रोड, नई दिल्ली स्थित लेखा सामग्री एवं मुद्रण भवन की जारी परियोजनाओं के लिए (₹ 500 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ग) मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत कोडईकनाल में हॉलीडे होम के निर्माण (₹ 400 करोड़) तथा बीडी मार्ग स्थित लोक सभा की विभिन्न आवासीय परियोजनाओं, लेखापरीक्षा और सीबीईसी/सीबीडीटी हेतु भूमि की खरीद के लिए (₹ 70 करोड़) तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली की आवासीय घरों के निर्माण हेतु (₹ 5 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(a) Pradhan Mantri Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi) under Atma Nirbhar Scheme for Special Micro Credit Facility for Street Vendors - GIA General (₹ 2.00 Crore), Contribution (₹ 93.00 Crore), Subsidy (₹ 55.00 Crore), Interest (₹ 90.00 Crore), OAE (₹ 34.50 Crore), Advertising & Publicity (₹ 2.00 Crore), DTE (₹ 0.26 Crore), Professional Services (₹ 10.00 Crore) and Other Charges (₹ 1.00 Crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) ongoing project of Supreme Court, Parliament Works, CBEC/ CBBT, Stationery and Printing Building at Minto Road, New Delhi under Major Works (₹ 500 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) Purchase of land for Construction of Holiday Home at Kodaikanal (₹ 400 crore), various Housing projects of Lok Sabha at BD Marg, Audit and CBEC/ CBBT under Major Works (₹ 70.00 crore) and construction of Residential Accommodation for Rajya Sabha Secretariat, New Delhi (₹ 5 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 59

उच्चतर शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 73 देखिये)

(See page 73 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	52078.45	52078.45
पूँजी	Capital	...	2227.00	2227.00
जोड़	Total	...	54305.45	54305.45
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	812.51	812.51
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	812.51	812.51
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	55117.96	55117.96
राजस्व	Revenue	...	52890.96	52890.96
पूँजी	Capital	...	2227.00	2227.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...	700.00 (का)	700.00
2203-तकनीकी शिक्षा	2203-Technical Education	...	112.50 (खb)	112.50
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (गc)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	812.51	812.51

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) चैंपियन सेवा सेक्टर - शिक्षा सेवाएं - उच्चतर शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण [₹ 62.41 करोड़], (2) विश्व स्तरीय संस्थान [₹ 81.98 करोड़], (3) भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए अनुदान [₹ 20.25 करोड़], (4) केंद्रीय विश्वविद्यालय [₹ 250 करोड़], (5) आभासी कक्षाओं और विशाल मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों (एमओओसी) की स्थापना [₹ 100 करोड़], (6) प्रधानमंत्री ई-विद्या [₹ 45 करोड़], (7) सामाजिक विज्ञान में प्रभावकारी नीति अनुसंधान (इम्प्रेस) [₹ 25 करोड़], और (8) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) [₹ 26.50 करोड़] और (ii) केंद्रीय विश्वविद्यालय स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 600 करोड़) तथा (iii) राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा में महाविद्यालय नेटवर्क- शिक्षा के राष्ट्रमंडल में भारत का योगदान (₹ 4 करोड़) (iv) वैश्विक प्रतिभागिता हेतु पहल स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रशासनिक व्यय (₹ 1.69 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग तथा अनुदान के पूँजी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, ₹ 700 करोड़ का तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) (i) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान (एनआईटीटीटीआर) [₹ 18 करोड़], (2) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों को सहायता (आईआईएसईआर) [₹ 65.40 करोड़], और (3) भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) को सहायता - [₹ 13 करोड़], (ii) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (1) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान (एनआईटीटीटीआर) [₹ 27 करोड़], (2) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) [₹ 15.05 करोड़], (3) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) [₹ 75.70 करोड़], (4) भारतीय शिक्षा एवं अनुसंधान (आईआईएसईआर) को सहायता [₹ 15.20 करोड़], और (5) भारतीय विज्ञान संस्थान को सहायता [₹ 11 करोड़] तथा (iii) भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना स्कीम के अंतर्गत 'व्यावसायिक सेवाएं' (ईएपी) [₹ 20 करोड़]।

The supplementary Grants are required for:

(a) (i) Grants-in-aid General under the following schemes (1) Champion Services Sector- Education Services - Internationalization of Higher Education [₹ 62.41 Crore], (2) World Class Institutions [₹ 81.98 Crore], (3) Grants for promotion of Indian languages [₹ 20.25 Crore], (4) Central Universities [₹ 250 Crore], (5) Setting up virtual classrooms and massive open online courses (MOOCs) [₹ 100 Crore], (6) PM e-Vidya [₹ 45 Crore], (7) Impactful Policy Research in Social Science (IMPRESS) [₹ 25 Crore], and (8) Rashtriya Uchhtar Shiksha Abhiyan (RUSA) [₹ 26.50 Crore] (ii) Grant in aid Salaries under the scheme Central Universities (₹ 600 crore) and (iii) Contribution under the scheme setting up of Commonwealth University & College-network in Distance Education:- India's Contribution to the Commonwealth of Learning (₹ 4 crore) (iv) Other Administrative Expenses under the scheme Initiatives for global engagement (₹ 1.69 crore). Taking into account the savings within the same section as well in the Capital Section of the Grant, a technical supplementary of ₹ 700 crore is sought.

(b) (i) Grants-in-aid General under the following schemes (1) National Institutes of Technical Teachers Training & Research (NITTTRs) [₹ 18 Crore], (2) Support to Indian Institute (s) of Science Education & Research (IISER) [₹ 65.40 Crore], and (3) Support to Indian Institute of Science (IISc) - [₹ 13 Crore], (ii) Grants-in-aid Salaries under the following schemes (1) National Institutes of Technical Teachers Training & Research (NITTTRs) [₹ 27 Crore], (2) Indian Institutes of Information Technology (IIITs) [₹ 15.05 Crore], (3) Indian Institutes of Technology (IITs) [₹ 75.70 Crore], (4) Support to Indian Institute (s) of Science Education & Research (IISER) [₹ 15.20 Crore], and (5) Support to Indian Institute of Science (IISc) - [₹ 11 Crore] and (iii) Professional Services' under the scheme Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (EAP) [₹ 20 Crore]

अनुदान के इसी भाग तथा अनुदान के पूँजी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए ₹ 112.50 करोड़ का तकनीकी पूँक अनुदान मांगा जाता है।

- (ग) (i) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) केंद्रीय विश्वविद्यालय [₹ 50 करोड़], राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) [₹ 29.35 करोड़] तथा (ii) केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान [₹ 60 करोड़]।
 अनुदान के पूँजी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूँक अनुदान मांगा जाता है।

Taking into account the savings in the same section as well as in the Capital Section of the Grant, a technical supplementary of ₹ 112.50 crore is sought.

- (c) (i) Grants-in-aid General under the following schemes (1) Central Universities [₹ 50 Crore], Rashtriya Uchhtar Shiksha Abhiyan (RUSA) [₹ 29.35 Crore] and (ii) Grants-in-aid Salaries under the scheme Central Universities [₹ 60 Crore]

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 61

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

DEPARTMENT OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 75-76 देखिये)

(See page 75-76 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	8641.49	8641.49
पूंजी	Capital	0.01	409.01	409.02
जोड़	Total	0.01	9050.50	9050.51
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.01	9050.51	9050.52
राजस्व	Revenue	...	8641.50	8641.50
पूंजी	Capital	0.01	409.01	409.02
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना-अन्य नदीमुख (₹ 20 करोड़) और मरम्मत, नवीकरण व पुनर्स्थापन (आरआरआर)/सतह व लघु सिंचाई (एसएमआई) (₹ 100 करोड़) के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

Grants for creation of Capital Assets to Union Territory of Jammu & Kashmir under National River Conservation Plan - Other Basin (₹ 20 crore) and under Repair, Renovation and Restoration (RRR)/ Surface and Minor Irrigation (SMI) (₹ 100 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 63

श्रम और रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 78 देखिये)

(See page 78 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	12021.49	12021.49
पूंजी	Capital	...	44.00	44.00
जोड़	Total	...	12065.49	12065.49
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	4860.00	4860.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	4860.00	4860.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	16925.49	16925.49
राजस्व	Revenue	...	16881.49	16881.49
पूंजी	Capital	...	44.00	44.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2230-Labour, Employment and Skill Development	...	4374.00	(का) 4374.00
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	486.00	(खb) 486.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	4860.00	4860.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना" (पीएमजीकेवाई) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4374 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

इसमें नकद व्यय होगा।

(ख) "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना" (पीएमजीकेवाई) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 486 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

(a) Meeting expenditure towards Grants-in-Aid General (₹ 4374.00 crore) under the scheme 'Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY)'.
The above expenditure will entail a cash outgo;(b) Meeting expenditure towards Grants-in-Aid General (₹ 486.00 crore) under the scheme 'Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY)'.
The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 65

निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 80 देखिये)

(See page 80 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	269.00	269.00
पूंजी	Capital	...	1.00	1.00
जोड़	Total	...	270.00	270.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	270.01	270.01
राजस्व	Revenue	...	269.01	269.01
पूंजी	Capital	...	1.00	1.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2015-चुनाव	2015-Elections	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

मार्च, 2020 के दौरान स्थापित किए गए परिसीमन आयोग जिसे जम्मू-कश्मीर और असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के राज्यों में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने के लिए गठन किया गया है, के व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 0.17 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure of Delimitation Commission set up during the month of March, 2020 to delimit the Assembly and Parliamentary Constituencies in the UT of J&K and the States of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur and Nagaland (₹ 0.17 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 67

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 82 देखिये)

(See page 82 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	7513.20	7513.20
पूंजी	Capital	...	59.00	59.00
जोड़	Total	...	7572.20	7572.20
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	500.00	500.00
जोड़	Total	...	500.02	500.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	8072.22	8072.22
राजस्व	Revenue	...	7513.22	7513.22
पूंजी	Capital	...	559.00	559.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (का)	0.01
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4851-Capital Outlay on Village and Small Industries	...	500.00 (गक)	500.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	500.02	500.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) निम्नलिखित हेतु व्यय पूरा करने के लिए (i) 'विपत्तिकालीन आस्तियां निधियां' स्कीम के अंतर्गत अंशदान (10 करोड़) और (ii) ब्याज आर्थिक सहायता योजना 'स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (15 करोड़)
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) निम्नलिखित हेतु व्यय पूरा करने के लिए : (i) 'विपत्तिकालीन आस्तियां निधियां' स्कीम के अंतर्गत अंशदान (90 करोड़) और (ii) 'ब्याज आर्थिक सहायता योजना' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (135 करोड़)
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) 'निधियों की निधि' स्कीम के अंतर्गत 'निवेश' हेतु व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 500 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Meeting expenditure towards: (i) Contribution (₹ 10.00 crore) under the scheme 'Distressed Assets Funds' and (ii) Subsidies (₹ 15.00 crore) under the scheme 'Interest Subvention Scheme'
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Meeting expenditure towards: (i) Contribution (₹ 90.00 crore) under the scheme 'Distressed Assets Funds' and (ii) Subsidies (₹ 135.00 crore) under the scheme 'Interest Subvention Scheme'
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Meeting expenditure towards 'Investment' under the scheme 'Fund of Funds' (₹ 500 crore).
- Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

**मांग संख्या DEMAND NO 70
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय**

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 85 देखिये)

(See page 85 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	5701.00	5701.00
पूंजी	Capital	...	52.00	52.00
जोड़	Total	...	5753.00	5753.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	5753.01	5753.01
राजस्व	Revenue	...	5701.01	5701.01
पूंजी	Capital	...	52.00	52.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2810-नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	2810-New and Renewable Energy	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) 'राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान' के अंतर्गत (क) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 11.62 करोड़) और (ख) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 0.39 करोड़);
- (ii) 'राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान' के अंतर्गत (क) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.20 करोड़) और (ख) वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.80 करोड़); और
- (iii) 'राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान' के अंतर्गत (क) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4.50 करोड़), (ख) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 2.50 करोड़) और (ग) वेतन सहायता अनुदान (₹ 2.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

- (i) providing (a) Grants-in-aid General (₹ 11.62 crore) and (b) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.39 crore) under 'National Institute of Wind Energy';
- (ii) providing (a) Grants-in-aid General (₹ 1.20 crore) and (b) Grant-in-aid Salaries (₹ 0.80 crore) under National Institute of Bio Energy; and
- (iii) providing (a) Grants-in-aid General (₹ 4.50 crore), (b) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 2.50 crore) and (c) Grant-in-aid Salaries (₹ 2.00 crore) under 'National Institute of Solar Energy'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 71

पंचायती राज मंत्रालय

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 86 देखिये)

(See page 86 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	900.94	900.94
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	900.94	900.94
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	900.95	900.95
राजस्व	Revenue	...	900.95	900.95
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515-Other Rural Development Programmes	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

‘स्वामित्व’ स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 77.39 करोड़) और कार्यालय व्यय (₹ 2.26 करोड़) हेतु नया लेखा शीर्ष खोलने के लिए।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

providing Grants-in-aid General (₹ 77.39 crore) and Office Expenses (₹ 2.26 crore) under the scheme SVAMITVA.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 73

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 88 देखिये)

(See page 88 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	73.32	1532.96	1606.28
पूँजी	Capital	3.65	144.61	148.26
जोड़	Total	76.97	1677.57	1754.54
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	76.97	1677.59	1754.56
राजस्व	Revenue	73.32	1532.97	1606.29
पूँजी	Capital	3.65	144.62	148.27
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services	...	0.01	(का) 0.01
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूँजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01	(खब) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:	
(क)	"राष्ट्रीय सिविल सेवा एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम" की स्थापना तथा अपने निम्नलिखित चार घटकों के संचालन के लिए : (i) एकीकृत सरकार ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 2.0 (आईजीओटी), (ii) क्षमता निर्माण आयोग (iii) विशेष प्रयोजन व्यवस्था और (iv) 'राष्ट्रीय सिविल सेवा एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम' के लिए विश्व बैंक सहायता (₹ 100.00 करोड़)।	(a)	setting up "National Programme for Civil Services and Capacity Building" and running of its following four components: (i) Integrated Government Online Training Programme 2.0 (iGOT 2.0), (ii) Capacity Building Commission (iii) Special Purpose Vehicle and (iv) World Bank Assistance for 'National Programme for Civil Services and Capacity Building' (External Aided Project) (₹ 100.00 Crore).
(ख)	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। अपने निम्नलिखित तीन घटकों के लिए "राष्ट्रीय सिविल सेवा एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम" :- (i) एकीकृत सरकार ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 2.0 (आईजीओटी 2.0) - कार्यालय भवन, (ii) क्षमता निर्माण आयोग-कार्यालय भवन (iii) विशेष प्रयोजन व्यवस्था (₹ 100. करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. "National Programme for Civil Services and Capacity Building" scheme for its following three components:- (i) Integrated Government Online Training Programme 2.0 (iGOT 2.0) - Office Building, (ii) Capacity Building Commission- Office Building and (iii) Special Purpose Vehicle (₹ 100 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 75
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 90 देखिये)

(See page 90 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	42722.00	42722.00
पूंजी	Capital	...	907.00	907.00
जोड़	Total	...	43629.00	43629.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	3184.00	3184.00
जोड़	Total	...	3184.01	3184.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	46813.01	46813.01
राजस्व	Revenue	...	42722.01	42722.01
पूंजी	Capital	...	4091.00	4091.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2802-पेट्रोलियम	2802-Petroleum	...	0.01 (का)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4802-पेट्रोलियम पर पूंजी परिव्यय	4802-Capital Outlay on Petroleum	...	3184.00 (खब)	3184.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	3184.01	3184.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अनुसार प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन के लिए स्कीम के लाभार्थियों को अतिरिक्त निधि प्रदान करने के लिए (₹ 13000 करोड़); और
- (ii) 'इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल)- उत्तर पूर्व प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड की स्थापना' की नई स्कीम के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 278 करोड़); अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) कच्चे तेल के प्रारक्षित भंडार के लिए इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड को अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए (₹ 3184 करोड़)। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) providing additional fund to the beneficiaries of scheme for LPG connection to poor households under Pradhan Mantri Ujjwala Yojna as per Pradhan Mantri Garib Kalyan Package (₹ 13000 crore); and
- (ii) providing Grants for Creation of Capital Assets for new scheme 'Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL) – setting up of North East Natural Gas Pipeline Grid (₹ 278 crore); Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) providing additional fund to Indian Strategic Petroleum Reserves Limited for crude oil reserves (₹ 3184 crore) The above expenditure will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 76

योजना मंत्रालय

MINISTRY OF PLANNING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 देखिये)

(See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	649.22	649.22
पूँजी	Capital	...	0.78	0.78
जोड़	Total	...	650.00	650.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	650.02	650.02
राजस्व	Revenue	...	649.24	649.24
पूँजी	Capital	...	0.78	0.78
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	0.01 (का)	0.01
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:				
(क) नवीकरण एवं संशोधन (₹ 9 करोड़) और सूचना प्रौद्योगिकी (अन्य व्यय) (₹ 3 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत लघु निर्माण कार्यों और कार्यालय व्यय हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(a) meeting an additional expenditure towards Minor Works & Office Expenses under the schemes Renovation and alteration (₹ 9 crore) and Information Technology (OE) (₹ 3 crore).			
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.			
(ख) व्यावसायिक सेवाओं में विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 14.38 करोड़)।	(b) meeting an additional expenditure towards Professional Services for Development Monitoring and Evaluation Office (₹ 14.38 crore).			
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.			

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 83

रेल मंत्रालय

MINISTRY OF RAILWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 98-99 देखिये)

(See page 98-99 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	497.00	283481.64	283978.64
पूंजी	Capital	102.63	237526.79	237629.42
जोड़	Total	599.63	521008.43	521608.06
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	520.00	520.00
पूंजी	Capital	...	100.00	100.00
जोड़	Total	...	620.00	620.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	599.63	521628.43	522228.06
राजस्व	Revenue	497.00	284001.64	284498.64
पूंजी	Capital	102.63	237626.79	237729.42
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3075-अन्य परिवहन सेवाएं	3075-Other Transport Services	...	520.00 (का)	520.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5002-भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लाइन पर पूंजी परित्यय	5002-Capital Outlay on Indian Railways - Commercial Lines	...	100.00 (खब)	100.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	620.00	620.00
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:		
(क)	'कोविड-19 आकस्मिक अनुक्रिया तथा स्वास्थ्य प्रणाली तत्परता पैकेज' के भाग के रूप में चिकित्सीय उपकरणों, दवाइयों, पीपीई की खरीद, रेलवे परिसरों और ट्रेनों में अतिरिक्त स्वच्छता कार्यक्रमों के लिए ₹ 620 करोड़ का व्यय पूरा करने के लिए।	(a)	meeting expenditure of ₹ 620 crore for purchase of medical equipments, medicines, PPEs, creation of isolation wards, conversion of coaches into isolation wards, cost of paramedics, additional cleanliness/activities in Railway premises and trains as part of 'COVID-19 Emergency Response and Health System Preparedness Package', etc.	
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 100 करोड़ की बचतों को देखते हुए, इसमें ₹ 520 करोड़ का नकद पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account savings of ₹ 100 crore available in same section of the Grant, cash supplementary for ₹ 520 crore is sought.	
(ख)	'कोविड-19 आकस्मिक अनुक्रिया तथा स्वास्थ्य प्रणाली तत्परता पैकेज' के भाग के रूप में पृथक्करण वार्डों के सृजन, कोचों को परिवर्तित करने, अतिरिक्त चिकित्सीय उपकरणों हेतु ₹ 100 करोड़ का व्यय पूरा करने के लिए।	(b)	meeting expenditure of ₹ 100 crore towards creation of isolation wards, purchase of medical equipments as part of 'COVID-19 Emergency Response and Health System Preparedness Package', etc.	
	इसमें नकद व्यय होगा।		This will entail cash outgo.	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 84
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 100-101 देखिये)

(See page 100-101 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	19686.29	19686.29
पूंजी	Capital	10.00	160471.61	160481.61
जोड़	Total	10.00	180157.90	180167.90
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	156.92	156.92
जोड़	Total	...	156.93	156.93
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	10.00	180314.83	180324.83
राजस्व	Revenue	...	19686.30	19686.30
पूंजी	Capital	10.00	160628.53	160638.53
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3054-सड़क और पुल	3054-Roads and Bridges	...	0.01 (का)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5054-सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	156.92 (खब)	156.92
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	156.93	156.93
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !				
Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
5054-सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	(-)-78.46	(-)-78.46

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) इंटरनेशनल कोऑपरेशन एसोसिएशन ऑफ रोड कॉंग्रेस, पेरिस के संबंध में शुल्क भुगतान हेतु 'अंशदान' के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.08 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) (i) सड़क स्कंध के अंतर्गत हरित राष्ट्रीय राजमार्ग कारिडोर परियोजना की विश्व बैंक विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत व्यय पूरा करने के लिए (₹ 300 करोड़)।
(ii) हरित राष्ट्रीय राजमार्ग कारिडोर परियोजना के काउंटरपार्ट वित्तपोषण हेतु 'मुख्य निर्माण कार्यों' के अंतर्गत व्यय पूरा करने के लिए (₹ 200 करोड़)।
(iii) लद्दाख में सड़कों के लिए 'मुख्य निर्माण कार्यों' के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 91.57 करोड़)।
(iv) निधियों का अंतर-लेखा अंतरण (₹ 78.46 करोड़)।
अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों को अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों का उपयोग करने के पश्चात, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) additional expenditure under 'Contribution' for payment of fee in respect of International Cooperation Association of Road Congress, Paris (₹ 0.08 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) expenditure under Major Works for World Bank Externally Aided Project of Green National Highways Corridor Project under Road Wing (₹ 300 crore).
(ii) expenditure under 'Major Works' for Counterpart Funding of Green National Highways Corridor Project (₹ 200 crore).
(iii) additional expenditure under 'Major Works' for roads in Ladakh (₹ 91.57 crore).
(iv) Inter-account Transfer of Funds (₹ 78.46 crore).
Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 85

ग्रामीण विकास विभाग

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 102 देखिये)

(See page 102 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	198026.19	198026.19
पूँजी	Capital	...	100.00	100.00
जोड़	Total	...	198126.19	198126.19
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	113771.50	113771.50
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	113771.50	113771.50
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	311897.69	311897.69
राजस्व	Revenue	...	311797.69	311797.69
पूँजी	Capital	...	100.00	100.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	33771.48	(का) 33771.48
2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2501-Special Programmes for Rural Development	...	0.01	(खब) 0.01
2505-ग्रामीण रोजगार	2505-Rural Employment	...	72000.00	(गक) 72000.00
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	8000.00	(घद) 8000.00
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01	(डे) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	113771.50	113771.50
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !				
Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2505-ग्रामीण रोजगार	2505-Rural Employment	...	(-)32000.00	(-)32000.00
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	(-)8000.00	(-)8000.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	(-)40000.00	(-)40000.00
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:		
(क)	निम्नलिखित के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (i) प्रधानमंत्री जनधन योजना महिला खाताधारकों को 'प्रत्यक्ष लाभ अंतरण' (₹ 30956.98 करोड़) और (ii) 'राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम' स्कीम के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (₹ 2814.50 करोड़)।	(a)	providing Grants-in-aid General for (i) 'Direct Benefit Transfer' to Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna Women Accounts Holders' (₹ 30956.98 crore) and (ii) Indira Gandhi National Old Age Pension (₹ 2814.50 crore) under the scheme 'National Social Assistance Programme'.	
	इसमें नकद व्यय होगा।		The above expenditure will entail a cash outgo;	
(ख)	'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' स्कीम के अंतर्गत (i) दीनदयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल योजना के लिए अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र (₹ 2.98 करोड़) और (ii) 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' स्कीम के अंतर्गत लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में प्रशासनिक व्यय (₹ 0.55 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	(b)	providing Grants-in-aid General for (i) Union Territory of Andaman & Nicobar Islands for Deen Dayal Upadhyay- Gramin Kaushal Yojana (₹ 2.98 crore) and (ii) administrative expenditure in Union Territory of Ladakh (₹ 0.55 crore) under the scheme 'National Rural Livelihood Mission'	
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(ग)	(i) 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए' (₹ 32000 करोड़); और	(c)	(i) providing Grants for Creation of Capital Assets under 'Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Program' (₹ 32000 crore); and	

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(ii) राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी निधि को निधियों का अंतरण (₹ 40000 करोड़)।</p> <p>चूंकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत व्यय 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी निधि' में से पूरा किया जाएगा, इसलिए इसमें ₹ 40000 करोड़ का व्यय होगा।</p> | <p>(ii) transfer of funds to National Employment Guarantee Fund (₹ 40000 crore).</p> <p>As the expenditure under the scheme 'Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Program' will be met from 'National Rural Employment Guarantee Fund' the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 40000 crore.</p> |
| <p>(घ) (i) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 8000 करोड़); और</p> <p>(ii) 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्यक्रम' स्कीम के अंतर्गत 'उन्नति परियोजना हेतु क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता' के लिए आबंटन हेतु नया लेखा शीर्ष खोलने के लिए (₹ 183.71 करोड़)।</p> <p>चूंकि 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम' के अंतर्गत व्यय 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी निधि' में से पूरा किया जाएगा, इसलिए अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 183.71 करोड़ की बचतों का उपयोग करने के पश्चात, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।</p> | <p>(d) (i) proving funds for Grants for Creation of Capital Assets (₹ 8000 crore); and</p> <p>(ii) opening new head of accounts for providing allocation for 'Capacity Building and Technical Support for project UNNATI' (₹ 183.71 crore) under the scheme 'Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme'</p> <p>As the expenditure under the scheme 'Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme' will be met from 'National Employment Guarantee Fund', and after utilising the savings of ₹ 183.71 crore available in the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any cash outgo.</p> |
| <p>(ङ) 'प्रधानमंत्री आवास योजना' स्कीम के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 427.71 करोड़)।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।</p> | <p>(e) providing Grants for creation of Capital Assets to Union Territory of Jammu and Kashmir under the scheme 'Pradhan Mantri Awaas Yojana (₹ 427.71 crore).</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 86

भूमि संसाधन विभाग

DEPARTMENT OF LAND RESOURCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 103 देखिये)

(See page 103 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2251.24	2251.24
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	2251.24	2251.24
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2251.25	2251.25
राजस्व	Revenue	...	2251.25	2251.25
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के नवसृजित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' के 'एकीकृत जल-संभर विकास कार्यक्रम' स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित आबंटन प्रदान करना।
- (i) केन्द्रीय सहायता योजना के अंतर्गत (क) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 44.03 करोड़) और (ख) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 0.01 करोड़);
- (ii) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत (क) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 9.95 करोड़) और (ख) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 0.01 करोड़); और
- (iii) जनजातीय क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत (क) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5.99 करोड़), (ख) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 0.01 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

- providing following allocations under the scheme 'Integrated Watershed Development Program' of 'Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojna' for the newly created Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh:
- (i) (a) Grants-in-aid General (₹ 44.03 crore) and (b) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.01 crore) under Central Assistance Plan;
- (ii) (a) Grants-in-aid General (₹ 9.95 crore) and (b) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.01 crore) under Special Component Plan for Scheduled Castes; and
- (iii) (a) Grants-in-aid General (₹ 5.99 crore) and (b) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.01 crore) under Tribal Area Sub Plan.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 87

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 104 देखिये)

(See page 104 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.02	6212.61	6212.63
पूँजी	Capital	...	101.00	101.00
जोड़	Total	0.02	6313.61	6313.63
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.02	6313.62	6313.64
राजस्व	Revenue	0.02	6212.62	6212.64
पूँजी	Capital	...	101.00	101.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निम्नलिखित हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) श्रीचित्र तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 86 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 50 करोड़) तथा (ii) स्वायत्त संस्थानों और व्यावसायिक निकायों के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 60 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards (i) 'Grants- in- aid General' (₹ 86 crore) and Grants- in- aid salary' (₹ 50 crore) for Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Science and Technology and (ii) 'Grants- in- aid General' towards Autonomous Institutions and Professional Bodies (₹ 60 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 88

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 105 देखिये)

(See page 105 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2786.76	2786.76
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	2786.76	2786.76
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	350.00	350.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	350.00	350.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3136.76	3136.76
राजस्व	Revenue	...	3136.76	3136.76
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	...	350.00	350.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) "स्वायत्त संस्थानों को सहायता के अंतर्गत कोविड-19 की जांच के लिए प्रचालनगत व्यय तथा सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 70 करोड़)।
- (ii) स्वदेशी टीका विकसित करने और कोविड-19 संबंधी अन्य समाधानों और परीक्षण संबंधी क्रियाकलापों के सहायतार्थ 'जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास' स्कीम हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 250 करोड़)।
- (iii) भारत की जैव-प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य देखभाल स्टार्ट-अप्स को परिमाण में बढ़ने के लिए और वास्तव में 'मेड इन इंडिया, गोइंग ग्लोबल' बनने का प्रोत्साहन दिया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए बनी 'औद्योगिक एवं उद्यमशीलता विकास' स्कीम पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 100 करोड़)।
- इस अनुदान के इसी भाग के तहत उपलब्ध बचतों को देखते हुए, इसमें ₹ 350 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

- (i) meeting operational expenditure and expenditure towards Grants in aid-General for testing of COVID 19 (₹ 70 crore) under "Assistance to Autonomous Institutions".
- (ii) meeting expenditure towards scheme of 'Biotechnology Research and Development' to support indigenous vaccine development and other COVID 19 solutions and testing related activities (₹ 250 crore)
- (iii) meeting expenditure towards scheme 'Industrial & Entrepreneurship Development' to ensure India's biotech and healthcare start-ups a fillip to scale and become truly "Made in India, Going Global" companies (₹ 100 crore)

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 350 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 92
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 109 देखिये)

(See page 109 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	9557.57	9557.57
पूंजी	Capital	...	546.00	546.00
जोड़	Total	...	10103.57	10103.57
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	10103.58	10103.58
राजस्व	Revenue	...	9557.58	9557.58
पूंजी	Capital	...	546.00	546.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (1) व्यय पूरा करने के लिए (i) अनुसूचित जाति (₹ 81 करोड़) के लिए मुफ्त योजना के तहत अनुदान सहायता और अनुसूचित जाति उप-योजना (₹ 5 करोड़) के लिए विशिष्ट केंद्रीय सहायता (ii) अनुसूचित जाति (₹ 127 करोड़) को उच्च कक्षा शिक्षा के तहत छात्रवृत्ति/वजीफा (iii) वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता (विशवास) योजना की नई स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां अनुसूचित जातियों के लिए (₹ 32.13 करोड़) तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए (₹ 32 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

- (1) For meeting expenditure towards (i) Grants in aid General under Scheme Free Coaching for SCs (₹ 81 crore) and Special Central Assistance to SCs sub-plan (₹ 5 crore) (ii) Scholarships/Stipend under Top Class Education for SCs (₹ 127 crore) (iii) Subsidies under New Scheme Vanchit Ikai Samooch Aur Vargon ki Arthik Sahayata (VISVAS) Yojana (₹ 32.13 crore) for SCs and for OBCs (₹ 32 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 94

अंतरिक्ष विभाग

DEPARTMENT OF SPACE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 111 देखिये)

(See page 111 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.60	5703.60	5704.20
पूँजी	Capital	0.40	7774.87	7775.27
जोड़	Total	1.00	13478.47	13479.47
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.00	13478.49	13479.49
राजस्व	Revenue	0.60	5703.61	5704.21
पूँजी	Capital	0.40	7774.88	7775.28
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3402-अंतरिक्ष अनुसंधान	3402-Space Research	...	0.01 (का)	0.01
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5402-अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूँजी परिव्यय	5402-Capital Outlay on Space Research	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:	
(क)	क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सी.बी.पी.)(रु. 0.75 करोड़) और लॉच सेवाओं (₹ 50 करोड़) के राजस्व भाग के लिए 'सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	meeting expenditure towards 'Grant-in-aid General' for Capacity Building Programme (CBP) (₹ 0.75 Crore) and Revenue share for launch services (₹ 50 Crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	आदित्य (₹ 4.70 करोड़), जीसैट-29 (₹ 5 करोड़) और रिसैट-1ए (₹ 62.50 करोड़) के अन्य पूँजीगत व्यय हेतु मशीनरी और उपस्करों का व्यय पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	meeting expenditure towards Machinery & Equipments for ADITYA (₹ 4.70 Crore), GSAT-29 (₹ 5 Crore) and Other Capital Expenditure of RISAT-1A (₹ 62.50 Crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 95

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 112 देखिये)

(See page 112 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	5426.05	5426.05
पूंजी	Capital	...	17.95	17.95
जोड़	Total	...	5444.00	5444.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	5444.01	5444.01
राजस्व	Revenue	...	5426.06	5426.06
पूंजी	Capital	...	17.95	17.95
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	3454-Census Surveys and Statistics	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

"भारत में सांख्यिकीय गुणवत्ता सुधार हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम" नई स्कीम के लिए व्यय पूरा करने के लिए (₹ 30.40 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure towards new Scheme "National Programme for Improving Quality of Statistics in India" (₹ 30.40 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 97

कपड़ा मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 114 देखिये)

(See page 114 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3463.76	3463.76
पूंजी	Capital	...	51.03	51.03
जोड़	Total	...	3514.79	3514.79
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3514.81	3514.81
राजस्व	Revenue	...	3463.78	3463.78
पूंजी	Capital	...	51.03	51.03
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (का)	0.01
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) 'राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 15.00 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) निम्नलिखित व्यय पूरा करने के लिए (i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम तथा अन्य देयताओं का निपटान करने के लिए 'सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता' स्कीम के रूप में अन्य केन्द्रीय क्षेत्र के व्यय के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 200 करोड़) और (ii) मूल्य समर्थन स्कीम के अंतर्गत कपास निगम द्वारा 'कपास की खरीद' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹ 200 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Meeting expenditure towards: GIA General (₹ 15.00 crore) under the scheme 'National Technical Textiles Mission'.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General under Other Central Sector Expenditure as 'Support to PSUs' for clearing the VRS and other liabilities of PSUs (₹ 200 crore) and (ii) Subsidies under the scheme 'Procurement of Cotton by Cotton Corporation under Price Support Scheme' (₹ 200 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 98

पर्यटन मंत्रालय

MINISTRY OF TOURISM

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 115 देखिये)

(See page 115 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2499.83	2499.83
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	2499.83	2499.83
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount now required:			
पूरक अनुमान:				
राजस्व	Revenue	...	6.26	6.26
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	6.26	6.26
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2506.09	2506.09
राजस्व	Revenue	...	2506.09	2506.09
पूँजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3452-पर्यटन	3452-Tourism	...	0.01 (का)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	6.25 (खब)	6.25
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	6.26	6.26
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।				
Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	(-)6.25	(-)6.25

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) निर्भया निधि को निधियां अंतरित करना (₹ 6.25 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) निर्भया निधि में से 'महिलाओं के लिए पर्यटन के सुरक्षित गंतव्य' स्कीम के अंतर्गत 'सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए नया लेखा शीर्ष खोलने के लिए (₹ 6.25 करोड़)। चूंकि 'महिलाओं के लिए पर्यटन के सुरक्षित गंतव्य' स्कीम के अंतर्गत व्यय 'निर्भया निधि' में से पूरा किया जाएगा, इसमें कोई निवल नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) transfer of funds to Nirbhaya Fund (₹ 6.25 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) providing 'Grants-in-Aid General' under the scheme 'Safe Tourist Destination for Women' from Nirbhaya Funds (₹ 6.25 crore) As the expenditure under the scheme 'Safe Tourist Destination for Women' will be met from 'Nirbhaya Fund', the above expenditure will not entail any net cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 100

महिला और बाल विकास मंत्रालय

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 117 देखिये)

(See page 117 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	30507.09	30507.09
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	30507.10	30507.10
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	5.00	5.00
जोड़	Total	...	5.00	5.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	30512.10	30512.10
राजस्व	Revenue	...	30507.09	30507.09
पूंजी	Capital	...	5.01	5.01
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजी परिव्यय	4235-Capital Outlay on Social Security and Welfare	...	5.00	5.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय पोषाहार मिशन - कार्यक्रम घटक (पोषाहार में एकीकृत शिक्षा) के तहत मुख्य निर्माण कार्यों पर हुए व्यय पूरा करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 5 करोड़)।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

For meeting the expenditure towards Major Works under National Nutrition Mission- Programme Component (Integrated Education in Nutrition) (₹ 5 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 101

युवा मामले और खेल मंत्रालय

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 118 देखिये)

(See page 118 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2775.90	2775.90
पूंजी	Capital	...	51.02	51.02
जोड़	Total	...	2826.92	2826.92
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2826.94	2826.94
राजस्व	Revenue	...	2775.92	2775.92
पूंजी	Capital	...	51.02	51.02
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2204-खेल और युवा मामले	2204-Sports and Youth Services	...	0.01	(का) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(खब) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) राष्ट्रमंडल खेल स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रभार (₹ 75 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 3.50 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(a) (i) Other Charges under the scheme Commonwealth Games (₹ 75 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) (i) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Laxmibai National Institute of Physical Education (₹ 3.50 crore)

Taking into account the savings available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.